केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–430)

मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	**i - v**
प्रथम	अध्ययन परिचय	1–7
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	8–27
तृतीय	सर्वेक्षण के समय निर्मित कार्यों की स्थिति	28–42
चतुर्थ	सर्वेक्षण परिणाम	43–70
	परिशिष्ट– **I**	71
	परिशिष्ट– **II**	72–73
	परिशिष्ट– **III**	74
	परिशिष्ट– **IV**	75
	परिशिष्ट– **V**	76

*****

उद्‌बोधन

राजस्थान आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक असमानताओं, प्रतिकूल जलवायु एवं विषम भौगोलिक संरचना के साथ ही विकास की दृष्टि से पिछड़ा प्रदेश है। राजस्थान में भिन्नताओं एवं विविधताओं का अद्‌भुत संगम है। प्रदेश में एक ओर विराट रेगिस्तान है तो दूसरी ओर अरावली की अनगिनत अगम्य पर्वतमालाएँ हैं। इन्हीं विभिन्नताओं ने राजस्थान के निवासियों की परम्परागत मान्यताऐं, आस्थाऐं, भाषा, जीवनशैली, संस्कृति, सभ्यता एवं रोजगार के अवसरों को भी प्रभावित किया है। प्रदेश में एक ओर गगनचुम्बी इमारतें, अत्याधुनिक अट्‌टालिकाऐं, आवागमन, बिजली, संचार के साधन, विश्वस्तरीय चिकित्सा एवं शिक्षा के संस्थान उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर सामान्य जीवन व्यतीत करने के आवश्यक संसाधन एवं आधारभूत सुविधाओं तक का अभाव है। ऐसा ही एक भाग राजस्थान के दक्षिणी मध्य का जनजाति उपयोजना क्षेत्र है जहाँ पिछड़ी व अल्पसंख्यक जातियों का बाहुल्य है एवं जो मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।

राज्य सरकार द्वारा मगरा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के प्रयोजनार्थ 2005–06 में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की गयी। जिससे उस क्षेत्र के निवासियों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ ही उनकी सुदृढ़ परम्पराओं, क्षेत्रीय विशिष्टताओं एवं विरासतों को संरक्षित रखा जा सके। योजना के तहत् स्थानीय समुदाय के लाभ/उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक/जनोपयोगी कार्य जिसमें परिसम्पत्तियों का सृजन हो एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, करवाने के प्रावधान रखे गये। योजना के तहत् मगरा क्षेत्र के पांच जिलों यथा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमन्द में आधारभूत संरचना के विकास हेतु करवाये गये कार्यों के निर्माण, निर्मित कार्यों के उपयोग एवं करवाये गये कार्यों से निवासियों को उपलब्ध सुविधाओं के आंकलन हेतु प्रस्तुत कार्यक्रम का मूल्यांकन करवाया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि योजना के तहत् निर्मित कार्यों की गुणवत्ता सन्तोषप्रद थी, योजना क्रियान्वयन से आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। प्रतिवेदन में यथास्थान प्रासंगिक सुझाव भी दिये गये हैं। मैं आशा करता हूँ कि दिये गये सुझाव क्रियान्वयन विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि– फरवरी, 2009
स्थान– जयपुर

(यदुवेन्द्र माथुर)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में मगरा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को आर्थिक एवं सामाजिक सम्बल प्रदान करने, मगरा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं रोजगार सृजन हेतु मगरा विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम राज्य के पांच जिलों यथा–अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, राजसमन्द एवं पाली की चिन्हित् 14 पंचायत समितियों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत आधारभूत सुविधाओं की संरचना/संवर्द्धन के जनोपयोगी कार्य यथा आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, आयुर्वेद औषद्यालय, पंचायत एवं पटवार भवन, विद्यालयों में कक्षा कक्ष निर्माण, चारदीवारी, किचन शैड, पेयजल टंकी, आम रास्ता निर्माण, ऐनिकट, तालाब/नहर/नाड़ी की पक्की दीवार, चारागाह, पेयजल टंकी, पाईप लाईन, कुआ निर्माण आदि के कार्य करवाये जाने के प्रावधान किये गये।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रम की उपयोगिता एवं प्रभाव का आकलन करने हेतु योजना का मूल्यांकन इस विभाग द्वारा 3 जिलों में किया गया है। मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2005–06 से 2007–08 के वर्षों में 840 कार्यों पर योजनान्तर्गत 1248.35 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रलेखीय सूचनाओं, निर्मित कार्यों का भौतिक सत्यापन, अवलोकन एवं लाभार्थियों एवं कार्यकारियों के साक्षात्कार उपरान्त प्राप्त विचारों एवं प्रतिक्रियाओं का यथास्थान विस्तृत विवेचन करते हुये निर्मित कार्यों के क्रियान्वयन में रही कमियों को इंगित कर रचनात्मक सुझावों का समावेश किया गया है। आशा है सुझावों की क्रियान्विति मगरा क्षेत्र के सन्तुलित विकास में सहायक सिद्ध होगी।

दिनांक : मार्च, 2009
स्थान : जयपुर।

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

"मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I प्रस्तावना एवं योजना का कार्यक्षेत्र :

राजस्थान के दक्षिणी मध्य में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त वह क्षेत्र, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है एवं जहाँ अन्य पिछड़ी जातियाँ एवं अल्पसंख्यक लोगों का निवास है को मगरा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मगरा क्षेत्र में राज्य के पाँच जिलों क्रमशः अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली एवं राजसमन्द की 14 पंचायत समितियों के 426 ग्राम सम्मिलित हैं।

II मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :

मगरा क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक सामाजिक विकास के साथ–साथ इस क्षेत्र में यहाँ के निवासियों को आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2005–06 के बजट भाषण में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना की घोषणा की गई। इस योजना का उद्धेश्य मगरा क्षेत्र में सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन कर उन्हें सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के साथ–साथ क्षेत्र की आवश्यकता एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यों को स्वीकृत कर लोगों को रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना एवं उनके जीवनस्तर में सुधार कर पिछड़ेपन को दूर करना है।

III वित्त पोषण एवं योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्य :

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना शत प्रतिशत राज्य वित्त पोषित योजना है एवं इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य जिसमें सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन हो तथा उस क्षेत्र के विकास के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित ही करवाया जा सकता है। योजनान्तर्गत सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियाँ राजकीय विभाग अथवा पंचायत राज विभाग के स्वामित्व की होती है।

IV योजना का क्रियान्वयन :

जिला स्तर पर मगरा क्षेत्रीय विकास येाजना की स्वीकृति व क्रियान्वयन जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा किया जाता है एवं स्वीकृत कार्यों को पंचायत राज संस्था/ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

V मूल्यांकन की आवश्यकता :

मगरा क्षेत्रीय कार्यक्रम के तहत् सृजित परिसम्पत्तियों की प्राथमिकता, करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता, परिसम्पत्तियों के निर्माण से उपलब्ध सुविधाओं का आंकलन करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग की अनुशंषा के आधार पर शासन सचिव, आयोजना के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन किया गया है।

VI मूल्यांकन अध्ययन के उद्धेश्य :

(i) योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।

(ii) स्वीकृत किये गये कार्यों से स्थानीय लोगों को रोजगार की उपलब्धता एवं जीवन स्तर में सुधार की स्थिति ज्ञात करना।

(iii) पूर्ण किये गये कार्यों की उपयोगिता एवं गुणवत्ता का आंकलन करना।

(iv) योजना के सफल/प्रभावी संचालन में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

VII न्यादर्श का चयन :

अध्ययन हेतु सर्वाधिक पूर्ण कार्यों के आधार पर प्रथम दो जिलों राजसमन्द एवं भीलवाड़ा तथा पूर्व परीक्षण हेतु अजमेर जिले का चयन किया गया। चयनित जिलों से 69 कार्यों का चयन कर भौतिक सत्यापन करते हुए 207 लाभार्थियों, 35 अधिकारी/गैर अधिकारी एवं 17 स्थानीय ग्रामवासी समूह उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अध्ययन कार्य पूर्ण किया गया।

VIII सन्दर्भ अवधि :

प्रलेखीय सूचनाओं की संदर्भ अवधि 2005–06 से फरवरी 2008 तक की एकत्रित की गई तथा लाभार्थी, अधिकारी/गैर अधिकारी एवं समूह उत्तरदाताओं से प्राप्त विचार/सूचनाऐं अभिमत सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है।

IX राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

कार्यकारी विभाग द्वारा मगरा क्षेत्र में सम्मिलित 5 जिलों की उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2005–06 से फरवरी 2008 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचनाओं की समीक्षा की गई। संदर्भित वर्षों में इन जिलों में कुल 1142 कार्य स्वीकृत किये गये एवं इनमें से 42 कार्यों को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार वास्तविक स्वीकृत 1100 कार्यों के विपरीत 840 (76.36 प्रतिशत) कार्यों को ही पूर्ण किया गया।

संदर्भित वर्षों में मगरा क्षेत्र में सम्मिलित जिलों के स्वीकृत कार्यों के लिए योजनान्तर्गत कुल 1400.01 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई एवं इस स्वीकृत राशि में से 1246.69 लाख रूपये की राशि जारी की गई तथा इस जारी की गई राशि से आधिक्य 1248.35(100.13 प्रतिशत) की राशि व्यय की गई जो जारी राशि से 1.66 लाख रूपये की आधिक्य की राशि व्यय की गई।

X चयनित जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

अध्ययन हेतु चयनित राजसमन्द, भीलवाड़ा एवं अजमेर जिलों में संदर्भित वर्षों की अवधि (2005–06 से फरवरी 2008 तक) में कुल 931 कार्यों को स्वीकृत किया गया जिनके विपरीत 583(62.62 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हुए। इन 931 कार्यों के लिए कुल 1150. 37 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई जिसके विपरीत 920.22 (80.00 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया। प्रगति समीक्षा के दौरान पाया कि राज्य एवं जिला स्तर पर उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के समंकों में परस्पर एकरूपता नहीं है एवं इनमें परस्पर अन्तर होने के कारण विसंगतियाँ है जो प्रगति की अद्योतन सूचनाओं को परिलक्षित नहीं करती है। राज्य एवं जिला स्तर पर सूचनाओं के समन्वय का अभाव है।

XI चयनित कार्य एवं उनकी प्रकृति :

अध्ययन हेतु चयनित 3 जिलों की 5 पंचायत समितियों में कुल 69 कार्यों का चयन किया गया। इनमें 23(33.33 प्रतिशत) कार्य राजसमन्द, 37(53.62 प्रतिशत) कार्य भीलवाड़ा तथा 9(13.05 प्रतिशत) कार्य अजमेर जिलों में चयनित किये गये। इन चयनित 69 कार्यों में से 65 (94.20 प्रतिशत) कार्य नवीन निर्माण के तथा 4(5.80 प्रतिशत) कार्य पुराने मरम्मत/सुधार/विस्तार/परिवर्तन/संवर्द्धन से संबंधित थे।

XII कार्य स्थल का चयन :

योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों के स्थान के चयन बाबत् समस्त (शत प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिकों, ग्रामवासी समूहों तथा 97.14 प्रतिशत कार्यकारियों ने सही एवं उचित स्थान पर होना बताया है, जो क्षेत्र की आवश्यकतानुसार ग्रामवासियों की सहमति से उचित स्थान पर ही किया गया है।

XIII उपलब्ध रोजगार के सम्बन्ध में :

योजनान्तर्गत चयनित निर्मित कार्यों पर चयनित श्रमिकों में से 88.89 प्रतिशत श्रमिक उत्तरदाताओं ने स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होना एवं 10.63 प्रतिशत ने जरूरतमन्द बाहरी लोगों को रोजगार उपलब्ध होना बताया है। अतः अधिकांश रूप से स्थानीय लोगों को ही रोजगार उपलब्ध हुआ है तथा सभी चयनित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान मिल गया है।

XIV परिसम्पत्तियों का सृजन :

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सभी उत्तरदाताओं ने स्थाई उपयोग की सार्वजनिक सम्पत्तियों का सृजन होना बताया है जो क्षेत्र में आधारभूत संरचना के निर्माण में काफी महत्व रखती है।

XV कार्य स्वीकृति से पूर्व चयनित केन्द्रों की स्थिति :

अध्ययन हेतु चयनित 69 कार्यों में से 31 सेवा सम्बन्धी केन्द्र थे। उनमें 10 केन्द्र किराये के भवनों में, 9 केन्द्र अन्यत्र स्थानों पर संचालित किये जा रहे थे जिनमें आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, पटवार भवन, पंचायत भवन, पशु चिकित्सा केन्द्र मुख्य रूप से थे शेष 12 केन्द्र अन्य विभागों के भवनों में संचालित किये जा रहे थे।

XVI निर्मित कार्यों की गुणवत्ता :

मूल्यांकन दल द्वारा चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन करने पर 85.51 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता अच्छी, 13.05 प्रतिशत की साधारण तथा 1.45 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता खराब होना पाई गई। अतः समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश कार्यों की गुणवत्ता अच्छी है।

XVII निर्मित कार्यों का उपयोग :

मूल्यांकन दल द्वारा मौके पर चयनित 69 कार्यों का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि इनमें से 55(79.71 प्रतिशत) कार्यों का उपयोग किया जा रहा है जबकि 14(20.29 प्रतिशत) कार्यों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिनमें चारागाह विकास, तालाब, नहर, एनीकट, नाड़ी आदि के कार्य तथा स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, पेयजल की पाईपलाइन आदि के सेवा सम्बन्धी कार्य हैं।

XVIII नियमित श्रमिकों को प्राप्त रोजगार :

सर्वेक्षण परिणाम के अनुसार मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत् स्थानीय लोगों को प्राप्त रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु नियोजित श्रमिकों को वर्ष में 15 से 60 दिवस तक का रोजगार इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। इससे क्षेत्रीय निवासियों के स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

XIX नियोजित श्रमिकों का आर्थिक स्तर :

योजनान्तर्गत चयनित नियमित श्रमिकों में से 32.32 प्रतिशत श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 19.32 प्रतिशत ए.पी.एल. एवं 16.43 प्रतिशत महिलाएँ थी। अर्थात श्रमिक नियोजन में महिलाओं एवं कमजोर आय वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिला है।

XX नियोजित श्रमिकों को प्राप्त मजदूरी :

योजना के तहत् नियोजित श्रमिकों का साप्ताहिक एवं पाक्षिक अन्तराल पर 73 रूपये प्रतिदिन बेलदारी, 140 रूपये प्रतिदिन मिस्त्री/कारीगर के अनुसार मजदूरी प्राप्त हुई है जो मजदूरी की निर्धारित टास्क के अनुसार ही बतायी गयी।

XXI कार्य सम्पत्ति के रखरखाव की स्थिति :

अध्ययन दल द्वारा मौके पर चयनित कार्यों के रखरखाव सम्बन्धी जानकारी करने पर 59.42 प्रतिशत कार्यों के रखरखाव की स्थिति अच्छी होना, 27.54 प्रतिशत कार्यों के रखरखाव की स्थिति साधारण तथा 13.04 प्रतिशत कार्य सम्पत्ति का रखरखाव नहीं होने की जानकारी मिली है। इनमें चारागाह विकास, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, एनीकट, पेयजल पाईपलाईन का विस्तार आदि है।

XXII योजना/कार्यक्रम की निरन्तरता :

मगरा क्षेत्र में निवास करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्प संख्यकों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण एवं वहां के लोगों को रोजगार के अवसरों के सृजन एवं विस्तार के शासकीय संकल्प की क्रियान्विति किये जाने से आधारभूत सुविधा, संसाधनों के सृजन तथा रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में योजनान्तर्गत संचालित कार्य जनोपयोगी है। जिससे पिछड़े क्षेत्र का संतुलित विकास तो हुआ ही है साथ ही वहाँ के लोगों को आधारभूत सुविधाऐं भी उपलब्ध हुई है। जिससे योजना के क्रियान्विति की निरन्तरता प्रतिपादित हुई है। अतः योजना को निरन्तरता प्रदान की जानी चाहिए।

XXIII निष्कर्ष :

संक्षेप में अध्ययन हेतु चयनित इकाईयों के भौतिक सर्वेक्षण एवं चयनित लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध सूचनाओं तथा मूल्यांकन दल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत परिसम्पत्तियों का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकताओं के आधार पर हुआ है। परिसम्पत्तियों के निर्माण से मगरा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही रोजगार सृजन होने से स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। परिसम्पत्तियों के निर्माण की गुणवत्ता भी सतोषप्रद पायी गयी लेकिन स्वीकृत कार्यों का समय पर पूर्ण नहीं होना एवं निर्माण के पश्चात् रखरखाव के समुचित प्रावधान नहीं होने से मगरा क्षेत्र में आधारभूत विकास की अवधारणा के अपेक्षित प्रभाव परिलक्षित नहीं हुए हैं। क्रियान्वयन एजेन्सी को स्वीकृति वर्ष में ही कार्य पूर्ण करवाने के समुचित प्रयास करने चाहिये, जिससे योजना का अधिकाधिक लाभ यथाशीघ्र मगरा क्षेत्र के निवासियों को प्राप्त हो सके एवं मगरा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की प्रक्रिया गतिशील हो सके।

———

अध्याय–प्रथम

अध्ययन परिचय

1.0 **प्रस्तावना :**

1.1.1 राजस्थान राज्य जाति, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक स्तर एवं भौगोलिक संरचना की दृष्टि से अत्यधिक विविधताओं वाला प्रदेश है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न जातियों का निवास है, जिनकी परम्पराऐं, मान्यताऐं, भाषा, आस्थाऐं एवं स्तर अन्य लोगों से पूर्णतः भिन्न है। जाति/समाज के विकास में उस क्षेत्र विशेष, जहाँ वे निवास करते हैं, की बसावट उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन एवं सुविधाओं का महत्वपूर्ण स्थान होना है। ऐसे दुर्गम क्षेत्र, जहाँ संचार आवागमन के साधन उपलब्ध करवाने में कठिनाई होती है वहाँ के निवासियों को उन्नति के अवसर अपेक्षाकृत रूप से कम उपलब्ध हो पाते हैं। अतः इन क्षेत्रों में विकास के लिये आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु विशिष्ट योजनाओं के निर्माण की आवश्यकता होती है। जिससे उस क्षेत्र के निवासियों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ ही उनकी समृद्ध परम्पराओं, क्षेत्रीय विशिष्टताओं एवं विरासतों को भी संरक्षित रखा जा सके।

1.1.2 राजस्थान राज्य के दक्षिणी मध्य के जनजाति उप योजना क्षेत्र के अतिरिक्त वह क्षेत्र जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है एवं जहाँ अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्पसंख्यक लोगों का निवास है, को मगरा क्षेत्र कहा जाता है। मगरा क्षेत्र में राज्य के पाँच जिलों क्रमशः अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली एवं राजसमन्द की 14 पंचायत समितियों के 1426 गाँव सम्मिलित हैं। जिनकी प्रति प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I पर उपलब्ध है।

1.1.3 मगरा क्षेत्र के अल्पसंख्यकों एवं अन्य पिछड़ी जाति के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ–साथ इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु मान्नीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2005–06 के बजट में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी। घोषणा के अनुसरण में प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा राज्य स्तर पर मगरा क्षेत्रीय विकास मण्डल का गठन मान्नीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में किया गया। समिति में मान्नीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास व पंचायती राज, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, वित्त एवं उद्योग के प्रमुख शासन सचिवों के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विभागों के शासन सचिवों, संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर एवं अन्य संबंधित विभागों के आयुक्त, प्रबन्ध निदेशक को

सदस्य बनाया गया है। (समिति के सदस्यों की पूर्ण सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट II पर प्रस्तुत है) मण्डल का कार्य, मगरा क्षेत्र से संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण करना, क्रियान्वयन की समीक्षा करना एवं सुझाव देना तय किया गया। मण्डल की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने का प्रावधान रखा गया।

1.2 **योजना का उद्धेश्य** :

1.2.1 मगरा क्षेत्रीय विकास योजना की मूल भावना क्षेत्रीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना एवं क्षेत्र के विकास हेतु आधारभूत संरचना तैयार करना है। इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार तय किये गये :–

(i) क्षेत्र की आवश्यकता एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।

(ii) सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन

(iii) स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं जीवन स्तर में सुधार

(iv) स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यों को विकसित करना

(v) स्थानीय व अन्य लोगों की जनभागीदारी सुनिश्चित करना।

1.3 **वित्त पोषण** :

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना शत प्रतिशत राज्य वित्त पोषित योजना है।

1.4 **योजना का कार्यक्षेत्र** :

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के तहत 5 जिलों यथा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द एवं पाली की 14 पंचायत समितियों के 1421 ग्राम सम्मिलित किये गये।

1.5 **योजना की विशिष्टताएँ** :

(i) मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्य मगरा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्वीकृत किये जाने के प्रावधान रखे गये।

(ii) आवश्यकता होने पर इस योजना का अन्य योजनाओं के साथ डबटेलिंग की किये जा सकने के प्रावधान किये गये।

(iii) योजनान्तर्गत जन सहयोग से प्राप्त राशि के उपयोग का प्रावधान रखा गया।

(iv) योजना के तहत राज्य की अन्य योजनाओं में कवर नहीं होने वाले कार्यों को प्राथमिकता से करवाने के प्रावधान किये गये हैं लेकिन करवाये जाने वाले कार्य स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिए लाभप्रद होने चाहिये।

1.6 **योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्य** :

(i) योजना के तहत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य, जिससे सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन हों अथवा आधारभूत सुविधा का सृजन होवे एवं क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित हो, करवाये जा सकते हैं।

(ii) योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय जन आकांक्षा के अनुरूप जनोपयोगी कार्य ही स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(iii) योजना के तहत स्वीकृत सृजित परिसम्पत्तियाँ राजकीय विभाग अथवा पंचायती राज विभाग के स्वामित्व की ही होनी चाहिये।

(iv) राज्य स्तरीय बैठकों में विभिन्न सैक्टर्स के कार्यों की वरियता का निर्धारण किया जाता है।

1.7 **वर्जित कार्य/स्वीकृतियाँ** :

1.7.1 इस योजना के निम्नांकित कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकेगी :–

(i) किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट वाणिज्यिक संगठन द्वारा स्वयं की परिसम्पत्तियों का सृजन

(ii) अनुदान / ऋण

(iii) निजी संस्था के लिए परिसम्पत्ति

(iv) सामान की खरीद

(v) भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजे के लिए, धार्मिक पूजास्थल निर्माण व्यक्तिगत लाभ के लिये परिसम्पत्ति निर्माण

(vi) आवृतक व्यय

1.8 **क्रियान्वयन** :

1.8.1 जिला स्तर पर मगरा क्षेत्रीय विकास योजना की स्वीकृति व क्रियान्वयन जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा किया जाना है। जिला परिषद द्वारा आवंटित बजट सीमा में प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला मगरा क्षेत्र विकास समिति की बैठक में प्रस्ताव अनुमोदित करवाकर राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग को भिजवाये जाते हैं। स्वीकृत कार्य पंचायती राज संस्थान के माध्यम से संबंधित विभाग की ग्रामीण कार्य निर्देशिका की अनुमोदित दरों पर करवाये जाते हैं। जीविकोपार्जन परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र की प्रसिद्ध स्वयंसेवी संस्थाओं से भी करवाये जा सकते हैं।

1.9 **मूल्यांकन की आवश्यकता** :

1.9.1 मगरा क्षेत्रीय कार्यक्रम की दिनांक 15.5.07 को आयोजित तृतीय बैठक में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार सचिव, आयोजना के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जा रहा है।

1.10 **मूल्यांकन के उद्देश्य** :

1.10.1 मगरा क्षेत्रीय कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु निम्न उद्धेश्य निर्धारित किए गये हैं :–

(i) योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।

(ii) कार्यक्रम अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्यों से स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं जीवन स्तर में सुधार की स्थिति ज्ञात करना।

(iii) योजनान्तर्गत पूर्ण किये गये कार्यों की उपयोगिता एवं गुणवत्ता का आकलन करना।

(iv) योजना के सफल एवं प्रभावी संचालन में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.11 **योजना की प्रगति** :

1.11.1 योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 में 433 कार्य स्वीकृत हुए जिनके लिए 500.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत हुई। 433 स्वीकृत कार्यों में से 191 कार्य पूर्ण हुए एवं 230.70 लाख रूपये की राशि व्यय हुई। वर्ष 2006–07 में योजना के तहत 400.00 लाख रूपये स्वीकृत हुए एवं 329 नये कार्य स्वीकृत हुए एवं 455.32 लाख रूपये व्यय किये गये। कार्यों की जिलेवार प्रगति निम्नानुसार पायी गयी :–

तालिका–I

जिले का नाम	स्वीकृत कार्य			पूर्ण कार्य			
	2005–06	2006–07	योग	2005–06	2006–07 (मार्च तक)	कार्य प्रगति पर (1.4.07)	योग (फरवरी 2008 तक संभावित पूर्ण कार्य)
अजमेर	73	21	94	54	32	6	92
भीलवाड़ा	107	149	256	79	29	97	205
चित्तौड़गढ़	29	10	39	2	22	13	37
पाली	38	24	62	0	29	25	54
राजसमन्द	186	125	311	56	169	77	302
योग :	**433**	**329**	**762**	**191**	**281**	**218**	**690**

1.11.2 उपरोक्त सूचनानुसार संदर्भित अवधि (2005–06, 2006–07) में कुल 762 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें से 472 कार्य इस अवधि में पूर्ण हुए एवं 218 कार्य वर्ष 2006–07 की समाप्ति के समय प्रगति पर थे। शेष 762–690= 72 कार्य निरस्त हो गये अथवा प्रारम्भ ही नहीं हुए। वर्ष 2006–07 की समाप्ति के समय प्रगति पर चल रहे 218 कार्य फरवरी 2008 तक पूर्ण होने के अनुमान करते हुए अध्ययन हेतु सैम्पल चयन किया गया।

1.12 **न्यादर्श चयन** :

1.12.1 न्यादर्श चयन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श प्रणाली का चयन करते हुए प्रथम स्तर पर योजना के प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से फरवरी 2008 तक पूर्ण हुए कार्यों को समग्र मानते हुए सर्वाधिक प्रगति वाले दो जिलों का चयन किया गया। न्यादर्श चयन हेतु 1.4.07 को चल रहे कार्यों को भी सम्मिलित करने का अभिप्राय अधिकाधिक पूर्ण कार्यों की न्यादर्श चयन में सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए किया गया। इस प्रकार प्रथम स्तर पर राजसमन्द एवं भीलवाड़ा जिलों का चयन किया गया। भीलवाड़ा जिले की केवल 3 पंचायत समितियों में ही मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आंशिक रूप से ही संचालित किया जा रहा था। अतः इन दोनों जिलों के साथ ही एक तीसरा जिला अजमेर, जिसकी दो पंचायत समितियों मसूदा एवं जवाजा में कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था, का भी चयन अध्ययन के पूर्व परीक्षण हेतु किया गया।

1.12.2 द्वितीय स्तर पर चयनित जिलों की वर्ष 2005–06 से फरवरी 2008 तक पूर्ण हुए कार्यों की पंचायत समितिवार सूची बनाते हुए सर्वाधिक प्रगति वाली दो पंचायत समितियों का चयन किया गया जिनमें राजसमन्द जिले की राजसमन्द एवं खमनोर एवं भीलवाड़ा जिले की आसीन्द एवं माण्डल तथा पूर्व परीक्षण हेतु चयनित जिला अजमेर की मसूदा पंचायत समिति का चयन अध्ययन हेतु किया गया।

1.12.3 तृतीय स्तर पर चयनित पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में 2005–06 से फरवरी 2008 तक ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्ण करवाये गये कार्यों की सूची बनाकर अधिकतम प्रगति वाली 2–2 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया चयनित ग्राम पंचायत से अधिकतम 10 पूर्ण कार्य चयनित किये गये। कार्यों के चयन में समय जहाँ तक सम्भव हुआ विभिन्न सैक्टर्स के कार्यों का चयन किया गया। अध्ययन हेतु जिन चयनित ग्राम पंचायतों में 10 पूर्ण कार्य नहीं मिलने की स्थिति में उस क्षेत्र की निकटतम ग्राम पंचायत से शेष रहे अन्य पूर्ण कार्यों का चयन किया गया है। प्रति कार्य 3 श्रमिक लाभार्थी अनुसूची भरी गयी।

इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल न्यादर्श का चयन निम्नानुसार किया गया है :–

तालिका–II

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	कार्य	श्रमिक/लाभार्थी
1	भीलवाड़ा	2	4	37	111
2	राजसमन्द	2	8	23	69
3	अजमेर	1	5	9	27
	योग :	**5**	**17**	**69**	**207**

1.13 **अध्ययन हेतु निर्धारित अनुसूचियाँ** :

1.13.1 अध्ययन हेतु निम्न अनुसूचियाँ भरी गयी।

1. **प्रलेख अनुसूची** :

इस अनुसूची में राज्य स्तर पर तथा चयनित जिलों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की योजना के तहत स्वीकृत राशि, स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य, निरस्त कार्य आदि सम्बन्धी सूचना प्राप्त की गयी।

2. **कार्य अनुसूची** :

इस अनुसूची में चयनित कार्य हेतु आवंटित राशि, व्यय, कार्य में लगने वाला समय व कार्य की उपयोगिता सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गई।

3. **लाभार्थी अनुसूची** :

चयनित कार्यों पर कार्य करने वाले लाभार्थी से इस अनुसूची में प्राप्त रोजगार, मजदूरी व उसके उपयोग सम्बन्धी सूचना एकत्रित की गई। लाभार्थी/श्रमिक का चयन करते समय यथासम्भव अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला सभी वर्गों के चयन का ध्यान रखा गया।

4. **सरकारी/गैर सरकारी अनुसूची** :

योजना से सम्बन्धित चयनित जिलों/इकाईयों के परियोजना निदेशक, विकास अधिकारी, ए.ई.एन., ग्राम सेवक, सरपंच, पटवारी आदि से इस अनुसूची में कार्यों का चयन, उपयोगिता, गुणवत्ता, कार्यक्रम के संचालन में आ रही कठिनाईयाँ एवं सुझाव आदि को संकलित किया गया।

5. **समूह अवलोकन अनुसूची** :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं/अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र के निवासियों के समूह से पी.आर.ए. तकनीक के आधार पर योजना के विभिन्न बिन्दुओं/पहलुओं पर विचार विमर्श के उपरान्त समूह अवलोकन अनुसूची भरी गई। जिसमें चयनित ग्राम पंचायत में योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों, उपलब्ध भौतिक संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं, उनकी उपयोगिता, गुणवत्ता आदि का भौतिक सत्यापन/अवलोकन करते हुए उक्त संसाधनों का ग्रामवासियों/लाभार्थियों/श्रमिकों पर पड़े प्रभाव के साथ–साथ उनकी सामाजिक/आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। अवलोकन टिप्पण में उन बिन्दुओं का भी समावेश किया गया, जिनके बारे में जानकारी अनुसूचियों में संकलित नहीं हुई थी।

क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पी.आर.ए. तकनीक के आधार पर विस्तृत अवलोकन टिप्पण प्रस्तुत किया गया। जिसमें चयनित ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधन, आधारभूत सुविधाएँ, कार्यक्रम की उपयोगिता, कठिनाईयाँ एवं सुझाव प्राप्त किये गये।

1.14 **संदर्भ अवधि** :

1.14.1 अध्ययन से संबंधित प्रलेख सूचना कार्यक्रम के प्रारम्भ 2005–06 से लेकर फरवरी 2008 तक की एकत्रित की गयी। अधिकारी/गैर अधिकारी एवं लाभार्थी से प्राप्त अभिमत सर्वे दिनांक से संबंधित हैं।

अध्याय–द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.0 मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की रूपरेखा :

2.1 मनुष्य का खान–पान, रहन–सहन, वेशभूषा संयोग की बात नहीं अपितु उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है। किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं वातावरण के अनुसार ही अपने जीवन को ढालते हैं। मगरा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने, क्षेत्र का समुचित विकास नहीं होने, क्षेत्र के लोगों को रोजगार की अनुपलब्धता, शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव होने से उनमें अज्ञानता, रूढ़ीवादिता, अन्धविश्वास होने के कारण उनका आर्थिक–सामाजिक विकास नगण्य है। क्षेत्र का विकास नहीं होने तथा आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने से उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। फलस्वरूप वे अपने परम्परागत धन्धों/कार्यों को अपनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में मगरा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है।

2.1.1 मगरा क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने, उन्हें आर्थिक, सामाजिक सम्बल प्रदान करने के साथ–साथ क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण/विकास हेतु वर्ष 2005–06 के बजट में प्रस्तुत वित्त विधेयक पर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए मगरा क्षेत्र विकास योजना प्रारम्भ की गई। उक्त घोषणा के अनुसरण में वर्ष 2005–06 में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना लागू की गई। वर्तमान में यह योजना राज्य के 5 जिलों यथा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमन्द की 14 पंचायत समितियों के 1426 ग्रामों को सम्मिलित कर संचालित की जा रही है, जिनकी सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I पर दर्शायी गई है।

2.1.2 मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह कार्यक्रम केवल मगरा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्रियान्वित/संचालित किया जा सकता है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उस क्षेत्र की आवश्यकता एवं स्थानीय निवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों को स्वीकृत कर उन्हें जन सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना ही योजना का मूल मंत्र है। योजना में ऐसे कार्य/प्रस्तावों को ही प्राथमिकता दी जा सकती है, जो स्थानीय समुदाय के आर्थिक/सामाजिक विकास के लिए लाभप्रद हैं एवं राज्य की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित/कवर नहीं हुये हैं।

2.1.3 मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल हेतु हैण्डपम्प/ट्यूबवैल/नलकूप, सड़क निर्माण, सम्पर्क सड़क, पुलिया/रपट निर्माण, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन निर्माण, चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी भवन निर्माण, पशु चिकित्सालय भवन निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, पुस्तकालय भवन निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण तथा जलग्रहण से संबंधित परियोजनाऐं आदि कार्यों को स्वीकृत कर क्रियान्वित की जा सकती है ताकि मगरा क्षेत्र के लिए चिन्हित ग्राम का समग्र विकास कर उस क्षेत्र के निवासियों को आधारभूत सुविधाओं के साथ–साथ वहां रोजगार के अवसर सृजित किये जा सके।

2.2.0 **योजना की राज्य स्तरीय प्रगति** :

2.2.1 राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उक्त योजना को वर्ष 2005–06 में राज्य के 5 जिलों को मगरा क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए प्रारम्भिक वर्ष में 500.01 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति/आवंटन कर योजना को क्रियान्वित किया गया। योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक के तीन वित्तीय वर्षों में कुल 1400.01 लाख रूपये की राशि आवंटित कर इसके विपरीत 1248.35 लाख रूपये (89.17 प्रतिशत) की राशि योजनान्तर्गत व्यय की गयी।

2.2.2 राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की अवधि की उपलब्ध करवाई गई राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचनाओं का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

2.2.3 **भौतिक प्रगति** :

2.2.3.1 राज्य में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों (2005–06 से 2007–08) तक की वर्षवार भौतिक प्रगति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका–I

योजना में सम्मिलित जिलों के नाम	योजनान्तर्गत वर्षवार कार्यों की प्रगति (संख्या में)														
	2005–06			2006–07				2007–08 (फरवरी 08 तक)					योग		
	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	1.4.06 को शेष कार्य	नवीन स्वीकृत कार्य	योग	पूर्ण कार्य	निरस्त कार्य	1.4.07 को शेष कार्य	नवीन स्वीकृत कार्य	योग	पूर्ण कार्य	निरस्त कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	निरस्त कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अजमेर	73	54	19	21	40	32	–	8	15	23	9	–	109	95	–
भीलवाड़ा	107	79	28	149	177	29	23	125	121	246	164	9	377	272	32
चित्तौड़गढ़	29	2	27	10	37	22	–	15	14	29	15	2	53	39	2
पाली	38	0	38	24	62	29	8	25	73	98	59	–	135	88	8
राजसमन्द	186	56	130	125	255	169	–	86	157	243	121	–	468	346	–
योग :	**433**	**191 (44.11)**	**242 (55.89)**	**329**	**571**	**281 (49.21)**	**31 (5.43)**	**259**	**380**	**639**	**368 (57.59)**	**11 (1.72)**	**1142**	**840 (73.56)**	**42**

नोट : 1. वर्षवार पूर्ण/अपूर्ण/निरस्त कार्यों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट III पर उपलब्ध है।
2. ( ) कोष्ठक में प्रतिशत अंकित किया गया है।

2.2.3.2 राज्य में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की उपरोक्त वर्षवार भौतिक प्रगति की तालिका में मगरा क्षेत्र हेतु सम्मिलित जिलों की प्रगति को समंकों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि :–

(i) कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्ष 2005–06 में मगरा क्षेत्र के विकास हेतु योजना में सम्मिलित 5 जिलों के लिए कुल 433 कार्य स्वीकृत किये गये थे जिनके विपरीत 191 (44.11 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण किये गये एवं 242 (55.89 प्रतिशत) कार्य नहीं होना अर्थात शेष रहना पाया गया। जिलेवार स्थिति का अवलोकन किया जावे तो उक्त वित्तीय वर्ष में पाली जिले में तो कार्यों की स्थिति शून्य रही अर्थात जिले में 38 स्वीकृत कार्यों के विपरीत एक भी कार्य नहीं हुआ। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले में 29 स्वीकृत कार्यों के विपरीत केवल 2 (0.76 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण किये जा सके। अजमेर, भीलवाड़ा एवं राजसमन्द जिलों में कार्यों की स्थिति सन्तोषप्रद रही है। अतः उपरोक्त समंकों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि योजना के प्रारम्भिक वर्ष में स्वीकृत कार्यों के विपरीत पूर्ण किये गये कार्यों की प्रगति धीमी रही।

(ii) वित्तीय वर्ष 2006–07 में उक्त जिलों में कुल 571 कार्यों को किया जाना था, जिनमें 329 नवीन स्वीकृत कार्य एवं 242 पिछले वर्ष के शेष रहे कार्य थे। उक्त 571 कार्यों में से 31 (5.43 प्रतिशत) कार्य निरस्त कर दिये गये एवं 281(49.21 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये जबकि 259(45.36 प्रतिशत) कार्य उक्त वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि उक्त वित्तीय वर्ष में भी स्वीकृत एवं शेष रहे कार्यों के विपरीत कार्य प्रगति 50.00 प्रतिशत से भी कम रही।

(iii) वर्ष 2007–08 में योजनान्तर्गत सम्मिलित जिलों में कुल 639 कार्यों को किया जाना था जिनमें 380 नवीन स्वीकृत कार्य एवं 259 पिछले वित्तीय वर्ष के शेष रहे कार्य थे। उक्त कुल 639 कार्यों के विपरीत फरवरी 2008 तक जिलों में 368(57.59 प्रतिशत) कार्य पूर्ण कर दिये गये एवं 11 (1.72 प्रतिशत) कार्यों को विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया गया जबकि 260 (40.69 प्रतिशत) कार्यों को उक्त वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं किये गये। अतः पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2007–08 में योजनान्तर्गत कार्यों की प्रगति में कुछ सुधार हुआ है किन्तु आशानुकूल प्रगति नहीं हुई तथा कार्यक्रम में गति नहीं आ पाई। अतः उपरोक्त तालिका में दिये गये भौतिक प्रगति के समंकों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्षवार कार्यों की स्वीकृति के विपरीत कार्यों के पूर्ण होने का प्रतिशत 44 से 58 प्रतिशत के बीच ही पाया गया जो अपेक्षाकृत काफी कम है। चूंकि मगरा क्षेत्र अपेक्षाकृत रूप से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है एवं इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जातियाँ निवास करती है। मगरा क्षेत्र विकास

कार्यक्रम का प्रारम्भ उस क्षेत्र के विकास एवं वहाँ के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने हेतु किया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि मगरा क्षेत्र में कार्यों की स्वीकृति के साथ ही उनके पूर्ण करवाने पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए इस हेतु कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए एवं निर्माणाधीन कार्यों की समय–समय पर मॉनिटरिंग/निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा जहाँ कहीं चलते कार्यों में किसी प्रकार का विचलन आता है तो उन्हें शीघ्र ही दूर किया जाना चाहिए ताकि समय पर कार्य पूर्ण हो सके।

2.3.0 जिलेवार वास्तविक स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की स्थिति :

2.3.1 राज्य में संदर्भित लगभग तीन वर्षों की अवधि में वास्तविक स्वीकृत कार्यों के विपरीत 840(76.36 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण हुये। इस संबंध में जिलेवार कार्यों की पूर्णता का अवलोकन किया जावे तो सर्वाधिक पूर्ण कार्यों में अजमेर जिले में 87.16 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुए एवं द्वितीय स्तर पर 78.84 प्रतिशत कार्य भीलवाड़ा जिले में पूर्ण किये गये। संदर्भित वर्षों में वास्तविक स्वीकृत कार्य एवं पूर्ण इकजाई कार्यों की प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गई है।

तालिका – II

संदर्भित वर्षों में वास्तविक कुल स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की स्थिति

योजना में सम्मिलित जिलों के नाम	वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक में कुल स्वीकृत कार्य	निरस्त कार्य	वास्तविक स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रतिशत
अजमेर	109	–	109	95	87.16
भीलवाड़ा	377	32	345	272	78.84
चित्तौड़गढ़	53	2	51	39	76.47
पाली	135	8	127	88	69.29
राजसमन्द	468	–	468	346	73.93
योग :	**1142**	**42**	**1100**	**840**	**76.36**

2.4.0 राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगति :

2.4.1 मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में पिछले तीन संदर्भित वर्षों (2005–06 से 2007–08) में मगरा क्षेत्र में सम्मिलित 5 जिलों में कुल 1400.01 लाख रूपये की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई थी। जिसके विपरीत फरवरी 2008 तक 1248.35 लाख रूपये की राशि मगरा क्षेत्र के जिलों में व्यय की गयी है जिनका वर्षवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

तालिका – III
वर्षवार जिलेवार आवंटन एवं व्यय राशि का विवरण

(व्यय राशि लाख रूपये में)

योजनान्तर्गत सम्मिलित जिलों के नाम	वर्षवार स्वीकृत राशि				वर्षवार व्यय राशि			
	2005–06	2006–07	2007–08	योग	2005–06	2006–07	2007–08	योग
अजमेर	42.30	33.84	24.18	100.32	35.77 (84.56)	35.59 (105.17)	17.61 (72.82)	88.97 (88.68)
भीलवाड़ा	115.13	92.10	133.55	340.78	67.68 (58.79)	132.84 (144.23)	184.83 (138.40)	385.35 (113.08)
चित्तौड़गढ़	33.55	26.84	26.95	87.34	21.32 (63.55)	24.10 (89.79)	23.83 (88.42)	69.25 (79.29)
पाली	57.33	45.86	59.82	163.01	14.70 (25.64)	45.35 (98.89)	80.86 (135.17)	140.91 (86.44)
राजसमन्द	251.70	201.36	255.50	708.56	91.23 (36.25)	227.44 (112.95)	245.20 (95.97)	563.87 (79.58)
योग :	**500.01**	**400.00**	**500.00**	**1400.01**	**230.70 (46.14)**	**465.32 (116.33)**	**552.33 (110.47)**	**1248.35 (89.17)**

नोट: 1. ( ) कोष्ठक में स्वीकृत राशि के विपरीत व्यय राशि का प्रतिशत दिया गया है।
2. वर्षवार स्वीकृत/जारी/शेष राशि परिशिष्ट IV पर दर्शायी गई है।

2.4.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2005–06 में योजनान्तर्गत सम्मिलित जिलों के लिए कुल 500.01 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया था, जिसके विपरीत योजनान्तर्गत केवल 230.70 (46.14 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि ही व्यय की गई जो प्रावधान राशि के 50 प्रतिशत से भी कम राशि है। इस प्रकार उक्त वित्तीय वर्ष में व्यय राशि के पश्चात् 269.31 लाख रूपये की राशि शेष रह गई।

(ii) वर्ष 2006–07 में 400.00 लाख रूपये की प्रावधान राशि एवं 269.31 लाख रूपये की गत वर्ष की शेष राशि इस प्रकार कुल 669.31 लाख रूपये की उपलब्ध राशि के विपरीत 465.32 (60.56 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि योजनान्तर्गत सम्मिलित जिलों में व्यय की गई तथा 203.99 लाख रूपये की राशि शेष रह गई।

(iii) वित्तीय वर्ष 2007–08 में कार्यक्रम के अन्तर्गत 500.00 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया था किन्तु विभाग द्वारा फरवरी 2008 तक 346.68 लाख रूपये की राशि ही जारी की गई इस प्रकार उक्त वर्ष में 346.68

लाख रूपये की स्वीकृत राशि एवं 203.99 लाख रूपये की गत वर्ष की शेष राशि का योग करने पर कुल 550.67 लाख रूपये की उपलब्ध राशि के विपरीत 552.33 (110.47 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय की गई जो उपलब्ध राशि से 1.66 लाख रूपये की अधिक राशि योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों पर व्यय की गई है। इस प्रकार योजनान्तर्गत सम्मिलित जिलों में उक्त तीनों वर्षों में कुल 1400.01 लाख रूपये की प्रावधान राशि के विपरीत माह फरवरी 2008 तक लगभग 1248.35 (89.17 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय की गई।

2.5.0 व्यय राशि एवं पूर्ण किये गये कार्यों का अनुपात :

2.5.1 उपरोक्त भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की तालिकाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि संदर्भित तीन वर्षों में 1142 कार्यों में से 42 कार्य निरस्त कर दिये गये एवं शेष 1100 कार्यों के विपरीत 840(76.36 प्रतिशत) कार्यों को सन्दर्भित वर्षों में पूर्ण किया गया एवं योजनान्तर्गत 1400.01 लाख रूपये की स्वीकृत राशि के विपरीत 1248.35 (89.17 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि उक्त कार्यों पर व्यय की गई। अतः समंकों का अवलोकन करने से यह विसंगति भी प्रतीत होती है कि कुल 1100 कार्यों के लिए स्वीकृत की गई राशि का 89.17 प्रतिशत उपयोग कर 840(73.5 प्रतिशत) कार्यों के लिए कर लिया गया। अतः विभाग स्तर पर इस बिन्दु पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2.5.2 जारी राशि एवं पूर्ण कार्यों की जिलेवार स्थिति :

2.5.2.1 संदर्भित वर्ष 2005–06 से 2007–08 (फरवरी 2008) तक जिलों को जारी की गई राशि एवं इसके विपरीत पूर्ण करवाये गये कार्यों का तुलनात्मक विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तीनों वित्तीय वर्षों में 1400.01 लाख रूपये की स्वीकृत राशि के विपरीत 1246.69 लाख रूपये की राशि फरवरी 2008 तक में जारी की गई इस जारी की गई राशि के विपरीत 1248.35 लाख रूपये की राशि व्यय की गई। इस प्रकार जारी राशि से 1.66 लाख रूपये की आधिक्य राशि व्यय की गई जबकि वास्तव में स्वीकृत 1142 कार्यों में से 42 कार्यों को निरस्त कर केवल 1100 कार्यों में से 840 कार्य ही पूर्ण किये गये। अजमेर जिले द्वारा शत प्रतिशत एवं भीलवाड़ा जिले द्वारा जारी राशि से भी अधिक राशि व्यय की गई है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :–

तालिका – IV

योजनान्तर्गत सम्मिलित जिलों के नाम	वर्ष 2005–06 से 2007–08 (फरवरी 2008 तक) कुल स्वीकृत एवं जारी राशि (राशि लाख रूपये में)			कुल स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की स्थिति (फरवरी 2008 तक) (संख्या में)		
	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	व्यय की गई राशि	स्वीकृत कार्य	वास्तविक स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
अजमेर	100.32	88.23	88.97 (100.84)	109	109	95 (87.15)
भीलवाड़ा	340.78	340.78	385.35 (113.08)	377	345	272 (78.84)
चित्तौड़गढ़	87.34	73.86	69.25 (93.75)	53	51	39 (76.47)
पाली	163.01	163.01	140.91 (86.44)	135	127	88 (69.29)
राजसमन्द	708.56	580.81	563.87 (97.08)	468	468	346 (73.93)
योग :	**1400.01**	**1246.69**	**1248.35 (100.13)**	**1142**	**1100**	**840 (76.36)**

नोट : ( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

2.5.2.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जारी की गई राशि के विपरीत व्यय की गई राशि एवं वास्तविक स्वीकृत कार्यों के विपरीत पूर्ण किये गये कार्यों का अनुपात 100:76 का रहा है। संदर्भित तीनों वर्षों में सर्व तिथि तक किसी भी जिले में शत–प्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। भीलवाड़ा जिले को जारी (340.78 लाख रूपये) की गई राशि से भी अधिक राशि (385.35 लाख रूपये) व्यय किये जाने के उपरान्त भी स्वीकृत 345 कार्यों में से 272 कार्य ही पूर्ण हुए थे। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले में भी यही स्थिति पायी गयी। इस जिले के लिए 73.86 लाख रूपये की जारी राशि में से 69.25 लाख रूपये का उपयोग होने पर भी वास्तव में स्वीकृत 51 कार्यों के विपरीत मात्र 39 कार्य ही पूर्ण हुए। पाली जिले में भी पूर्ण कार्यों का प्रतिशत (69.29) व्यय राशि की तुलना में कम पाया गया। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कार्यक्रम में मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण का अभाव है एवं व्ययों की तुलना में कार्यों की प्रगति धीमी है। अतः विभागीय स्तर पर कार्यों की समीक्षा कर उक्त बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

2.6.0 उपयोगिता प्रमाण–पत्र :

2.6.1 मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्र संबंधित जिले से प्राप्त किये जाते हैं। कार्यक्रम के अतर्गत व्यय की गई राशि के विपरीत वर्षवार एवं जिलेवार प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति निम्नानुसार पायी गई :–

व्यय राशि के विपरीत प्रात उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति

तालिका – V

योजनान्तर्गत सम्मिलित जिलों के नाम	वर्ष			
	2005–06 (राशि लाख रूपये)		2006–07 (राशि लाख रूपये)	
	व्यय राशि	उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि	व्यय राशि	उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
अजमेर	35.77	31.80	35.59	34.94
भीलवाड़ा	67.68	3.82	132.84	25.86
चित्तौड़गढ़	21.32	9.38	24.10	21.16
पाली	14.70	14.32	45.35	19.83
राजसमन्द	91.23	148.17	227.44	115.02
योग :	**230.70**	**207.49**	**465.32**	**216.91**

2.6.2 विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपरोक्त सूचनाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005–06 में योजनान्तर्गत सम्मिलित उपरोक्त जिलों में कुल 230.70 लाख रूपये व्यय किये गये जिनके विपरीत 207.49 लाख रूपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हुये हैं एवं वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल 465.32 लाख रूपये की व्यय राशि के विपरीत केवल 216.81 लाख रूपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र ही जारी हुये हैं। भीलवाड़ा जिले में समय–समय पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रगति काफी कम रही है जबकि राजसमन्द जिले में वर्ष 2005–06 में व्यय राशि से भी अधिक राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करना भी विभागीय स्तर पर ध्यान देने योग्य बिन्दु है। अतः सुझाव दिया जाता है कि समय पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि व्यय एवं ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार व्ययों में अन्तर नहीं रहे।

2.7 चयनित जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

2.7.1 मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य के 5 जिलों में वर्ष 2005–06 से क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन हेतु 2 जिलों यथा भीलवाड़ा एवं राजसमन्द जिले का चयन किया गया। योजनान्तर्गत हुई कार्य प्रगति के आकलन/समीक्षा हेतु उक्त चयनित जिलों में स्थित जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यालयों के कार्यकारियों द्वारा मूल्यांकन दल को उपलब्ध करवाई गई। वांछित सूचनाओं के अनुसार चयनित दोनों जिलों में मगरा क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2005–06 से प्रारम्भ किया जाना अवगत करवाया है। अतः उक्त चयनित जिलों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन योजना के प्रारम्भिक वर्ष से ही प्रारम्भ कर दिया गया था।

2.7.1.1 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चयनित जिला भीलवाड़ा में कुल 11 पंचायत समितियों के अधीन 381 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं जिनमें से 3 पंचायत समितियों को आंशिक रूप से कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। चयनित जिला राजसमन्द की कुल 6 पंचायत समितियों के अधीन 177 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं तथा इस जिले की सभी 6 पंचायत समितियों के भूभाग को पूर्ण रूप से मगरा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। अजमेर जिले की दो पंचायत समितियों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

2.7.2 चयनित जिलों की वित्तीय प्रगति :

2.7.2.1 मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अध्ययन हेतु क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित जिलों में स्थित जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यालयों द्वारा योजनान्तर्गत कार्यों की वित्तीय प्रगति से संबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की वर्षवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका – VI

चयनित जिलों के नाम	चयनित जिलों का वर्षवार विवरण (राशि लाख रूपये में)										
	2005–06			2006–07				2007–08			
	स्वीकृत राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	1.4.06 को शेष राशि	स्वीकृत राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	1.4.07 को शेष राशि	स्वीकृत राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि
राजसमन्द	251.7	251.7	251.7 (100.00)	–	213.63	213.63	187.65	25.98	244.27	270.25	119.69 (44.29)
भीलवाड़ा	115.13	115.13	3.82 (3.32)	111.31	92.10	203.41	132.84 (65.30)	70.57	133.55	204.12	140.38 (68.77)
अजमेर	42.60	42.60	35.77 (83.97)	6.83	33.84	40.67	35.59 (87.50)	5.08	24.18	29.26	13.41 (45.83)

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

2.7.2.2 जिला स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि :–

(i) कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्ष 2005–06 में चयनित राजसमन्द जिले में योजनान्तर्गत 251.7 लाख रूपये की राशि स्वीकृत/उपलब्ध करवाई गई थी, जिसके विपरीत जिले में शत–प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया है। चयनित जिला भीलवाड़ा में उक्त वित्तीय वर्ष में कुल 115.13 लाख रूपये की राशि स्वीकृति कर उपलब्ध करवाई गई जिसके विपरीत उक्त राशि में से जिले में केवल 3.82 लाख रूपये की राशि का ही उपयोग किया गया तथा 111.31 लाख रूपये की राशि का उपयोग नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि जिले में कार्यक्रम को गति प्रदान नहीं की गई। अजमेर जिले में प्रगति ठीक रही जिसमें 42.60 लाख रूपये की राशि के विपरीत 35.77 (83.97 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2006–07 में उक्त चयनित जिलों में राजसमन्द जिले में कुल 213.63 लाख रूपये की राशि योजनान्तर्गत स्वीकृत की गई जिसके विपरीत 187.65 (87.64 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया है एवं 25.98 (12.16 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि शेष रह गई। चयनित जिला भीलवाड़ा में योजनान्तर्गत उक्त वित्तीय वर्ष में 92.10 लाख रूपये की स्वीकृत राशि एवं 111.31 लाख रूपये पिछले वर्ष की शेष रही। इस प्रकार कुल 203.41 लाख रूपये की राशि जिले में उपलब्ध थी जिसके विपरीत 132.84 थी (65.30 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का ही उपयोग किया गया एवं लगातार पुनः 70. 57 (34.70 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि शेष रह गई। जबकि अजमेर जिले में 40.67 लाख रूपये की कुल उपलब्ध राशि के विपरीत 35.59 (87.50 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2007–08 में चयनित जिला राजसमन्द में कुल 270.25 लाख रूपये की राशि उपलब्ध थी जिसमें 25.98 लाख रूपये पिछले वर्ष की अवशेष राशि एवं 244.27 लाख रूपये इस वर्ष की स्वीकृत राशि इस प्रकार जिले में उपलब्ध कुल 270.25 लाख रूपये की राशि के विपरीत 119.69 (44.29 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का ही उपयोग हो पाया तथा 150.56 (55.71 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का उपयोग नहीं किया गया। चयनित जिला भीलवाड़ा में उक्त वर्ष में कुल 204.12 लाख रूपये की राशि उपलब्ध थी जिसमें 133.55 लाख रूपये इसी वित्तीय वर्ष की स्वीकृत राशि एवं 70.57 लाख रूपये पिछले वर्ष की अवशेष रही। इस प्रकार कुल 204.12 लाख रूपये की उपलब्ध राशि में से 140.38 (68.77 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का ही उपयोग किया गया एवं 63.74 लाख रूपये की राशि शेष रह गई। अजमेर जिले में कुल उपलब्ध 29.26 लाख रूपये की राशि में से 13.41 (45.83 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय हुए। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि, चयनित जिलों में (राजसमन्द जिले द्वारा प्रारम्भिक वर्ष को छोड़कर) किसी भी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत/उपलब्ध राशि का शत प्रतिशत उपयोग नहीं किया है एवं किसी–किसी वर्ष में तो 50 प्रतिशत से भी कम राशि का उपयोग किया है, जो कार्यक्रम की धीमी प्रगति का संकेत है।

2.8 भौतिक कार्य प्रगति :

2.8.1 चयनित जिलों में स्थित जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2007–08 योजनान्तर्गत स्वीकृत/पूर्ण/अपूर्ण एवं प्रारम्भ नहीं करवाये गये कार्यों की भौतिक कार्यों प्रगति संबंधी उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं का विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

वर्षवार स्वीकृत/पूर्ण/अपूर्ण/शेष रहे कार्यों की प्रगति

तालिका – VII

चयनित जिलों के नाम	2005–06				2006–07						2007–08 (फरवरी 2008 तक)					
	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ ही नहीं हुए	1.4.06 को शेष रहे कार्य	कुल स्वीकृत कार्य	योग	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ ही नहीं हुए	1.4.07 को शेष रहे कार्य	कुल स्वीकृत कार्य	योग	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ ही नहीं हुए
राजसमन्द	184	180	–	4	4	139	143	109	28	6	34	143	177	15	162	0
भीलवाड़ा	120	92	28	–	28	149	177	29	125	23	148	88	236	65	134	14
अजमेर	73	54	18	1	19	21	40	32	6	2	8	14	22	7	13	2

2.8.1.1 उपरोक्त सारिणी में प्रदर्शित भौतिक कार्यों की प्रगति के समंकों का अवलोकन करने से जानकारी मिलती है कि :–

(i) मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्ष (2005–06) में चयनित जिला राजसमन्द में कुल 184 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 180 कार्यों को पूर्ण कर दिया गया एवं 4 कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके। चयनित जिला भीलवाड़ा में कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 120 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 92 कार्यों को पूर्ण किया जाना अवगत करवाया जबकि जिले की वित्तीय प्रगति में स्वीकृत एवं व्यय राशि की तालिका VI का अवलोकन करने पर जानकारी मिलती है कि, उक्त 92 कार्यों पर उक्त वर्ष में मात्र 3.32 लाख रूपये की राशि ही व्यय की गई है, जो पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या एवं उन पर व्यय की गई राशि की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि, कार्यों की संख्या के विपरीत व्यय की गई राशि काफी अल्प है जिससे यह प्रतीत होता है कि पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या एवं उन पर व्यय की गई राशि के समंक अन्तर्विरोधी हैं। फलस्वरूप उक्त वर्ष में जिले की प्रगति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है अतः विभागीय स्तर पर उक्त अन्तर्विरोधी समंकों का परीक्षण किया जाना चाहिए। भौतिक प्रगति के समंक राज्य स्तर से प्राप्त सूचनाओं से भी मेल नहीं खा रहे हैं। सूचनाओं में विरोधाभास है। विभाग को सूचनाओं की एकरूपता बनाये रखनी चाहिए। चयनित जिला अजमेर में कुल 73 स्वीकृत कार्यों के विपरीत केवल 54 कार्यों को ही पूर्ण किया गया एवं 18 कार्य इस वित्तीय वर्ष में अपूर्ण रह गये तथा 1 कार्य को प्रारम्भ ही नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्ष में राजसमन्द जिले को छोड़कर चयनित भीलवाड़ा एवं अजमेर जिलों में कार्य प्रगति सन्तोषप्रद नहीं रही एवं कार्य की प्रगति धीमी रही है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2006–07 में चयनित जिले राजसमन्द में कुल 139 कार्यों को स्वीकृत किया गया एवं 4 कार्य पिछले वित्तीय वर्ष के शेष थे। इस प्रकार कुल 143 कार्यों के विपरीत इस वित्तीय वर्ष में 109 कार्य पूर्ण किये गये एवं 28 कार्य अपूर्ण रहे एवं 6 कार्यों को प्रारम्भ ही नहीं किया गया। अतः इस प्रकार उक्त वित्तीय वर्ष में भी 34 कार्य शेष रह गये। चयनित जिला भीलवाड़ा में कुल 149 नये कार्य स्वीकृत किये गये एवं 28 कार्य पिछले वित्तीय वर्ष के अपूर्ण कार्य थे। इस प्रकार कुल 177 कार्यों में से जिले में केवल 29 कार्यों को ही पूर्ण किया गया जबकि 125 कार्य अपूर्ण रह गये तथा 23 कार्य तो ऐसे थे जिन्हें प्रारम्भ ही नहीं किया गया। इसी प्रकार चयनित जिला अजमेर में उक्त वित्तीय वर्ष में 21 नवीन राजकीय कार्यों को स्वीकृत किया गया एवं 19 कार्य पिछले वित्तीय वर्ष के शेष रहे थे। इस प्रकार उक्त वर्ष में कुल 40 कार्यों के विपरीत इस वर्ष में 32 कार्यों को ही पूर्ण किया गया एवं 6 कार्य अपूर्ण रह गये तथा 2 कार्यों को प्रारम्भ ही नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वित्तीय वर्ष में राजसमन्द जिले की तुलना में भीलवाड़ा जिले में स्वीकृत/शेष रहे कार्यों को पूर्ण करने की प्रगति काफी धीमी रही एवं कार्यक्रम को गति नहीं मिल पाई।

(iii) वित्तीय वर्ष 2007–08 (फरवरी 2008 तक की उपलब्ध सूचनाओं/समंकों के अनुसार) में चयनित जिलों की प्रगति को देखने से जानकारी मिलती है कि राजसमन्द जिले में पिछले वित्तीय वर्ष के 34 अपूर्ण/शेष रहे कार्यों के अतिरिक्त 143 नवीन कार्यों को करने की स्वीकृति जारी की गई इस प्रकार दोनों वर्षों के कुल स्वीकृत/शेष 177 कार्यों के विपरीत दिसम्बर 2007 तक केवल 15 कार्यों को ही पूर्ण किया गया एवं 162 कार्य प्रगति पर/अपूर्ण रहे। जबकि चयनित जिला भीलवाड़ा में पिछले वर्ष के 148 शेष कार्यों के अतिरिक्त 88 नवीन कार्यों को स्वीकृत किया गया इस प्रकार जिले में कुल 236 कार्यों के विपरीत केवल 65 कार्यों को ही पूर्ण किया गया एवं 134 कार्य प्रगति पर होना तथा 14 कार्यों को प्रारम्भ ही नहीं किया गया शेष 9 कार्यों को निरस्त कर दिया गया। उक्त वर्ष में चयनित जिला अजमेर की कार्य प्रगति का अवलोकन करने से तो कार्य प्रगति सन्तोषप्रद ही प्रतीत होती है। उक्त वित्तीय वर्ष में जिले में 14 नवीन कार्य स्वीकृत किये गये एवं 8 कार्य पिछले वित्तीय वर्ष के शेष थे। इस प्रकार कुल 22 कार्यों के विपरीत केवल 7 कार्य ही इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये गये एवं 13 कार्य शेष रह गये तथा 2 कार्य तो प्रारम्भ ही नहीं किये गये। इससे स्पष्ट है कि उक्त वित्तीय वर्ष में भी चयनित जिले में कार्यों की प्रगति सन्तोषप्रद नहीं कही जा सकती। अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण से प्रतीत होता है कि, संदर्भित वर्षों में योजना की कार्य प्रगति धीमी रही है। किसी

भी लगातर संदर्भित वर्षों में स्वीकृत कार्यों के समय पर/वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं किया गया एवं अपूर्ण कार्यों को अगले वित्तीय वर्ष में शेष रहना बताया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्यों की समय–समय पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। नोडल एजेन्सी एवं क्रियान्वित एजेन्सी के मध्य समन्वय का अभाव है। स्वीकृत व्यय राशि एवं स्वीकृत कार्यों को निर्धारित वित्तीय वर्ष/समयावधि में पूर्ण नहीं करने से जहाँ एक और निर्माण लागत में तो वृद्धि होती है साथ ही कार्यक्रम को भी गति नहीं मिल पाती एवं योजना के उद्धेश्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि विभागीय स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए एवं नोडल एजेन्सी एवं क्रियान्वित एजेन्सी के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए तथा कार्यों की समय पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए ताकि कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कर स्वीकृत राशि का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

2.8.1.2 **राज्य एवं चयनित जिला स्तरीय प्रगति के समंकों की स्थिति :**

2.8.1.3 अध्ययन किये गये चयनित जिलों के कार्यों को वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की उपरोक्त तालिका VI एवं VII की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के समंकों का मिलान जब अध्ययन प्रतिवेदन में उपदर्शित राज्य स्तरीय प्रगति की तालिका I एवं III पर उपलब्ध चयनित जिलों की प्रारम्भिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचनाओं का अवलोकन कर परस्पर उनकी जाँच करने पर ज्ञात होता है कि राज्य एवं जिला स्तर पर उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के समंकों में परस्पर एकरूपता नहीं है एवं इनमें परस्पर अन्तर होने के कारण समंकों में विसंगतियाँ है जिससे प्रतीत होता है कि राज्य एवं जिला स्तर पर अलग–अलग रूप से उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के समंक अद्योतन नहीं है एवं कार्यक्रम की वास्तविक प्रगति को प्रकट नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रतिवेदन में दर्शायी गई राज्य स्तरीय भौतिक प्रगति की तालिका I में वित्तीय वर्ष 2005–06 में भीलवाड़ा जिले में योजनान्तर्गत कुल 107 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 79 कार्य पूर्ण करना बताया तथा तालिका–III की वित्तीय प्रगति में इन कार्यों के विपरीत उक्त वर्ष में 67.68 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। यदि उक्त दोनों तालिकाओं की तुलना/मिलान जिला स्तरीय प्रगति की तालिका VI एवं VII से करें तो उक्त चयनित जिले में कुल 120 कार्यों को स्वीकृत करना बताया है एवं इसके विपरीत 92 कार्यों को पूर्ण कर इन पर मात्र 3.32 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है जो पूर्ण करवाये गये कार्यों की तुलना में भी व्यय राशि काफी अल्प प्रतीत होती है जो प्रगति की वास्तविक स्थिति का चित्रण होने में सन्देह व्यक्त करती है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राज्य एवं जिला स्तर पर परस्पर समन्वय का अभाव है जिसके कारण वास्तविक कार्य प्रगति परिलक्षित नहीं होती है। अतः सुझाव दिया जाता है कि राज्य एवं जिला स्तर पर परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए सूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए एवं समय–समय पर कार्य प्रगति की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

2.9 सेक्टरवार कार्यों की प्रगति :

2.9.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में योजनान्तर्गत सेक्टरवार करवाये गये कार्यों की प्रगति के आकलन हेतु चयनित जिलों में स्थित जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यालय के कार्यकारियों द्वारा अध्ययन दल को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की इकजाई सेक्टरवार कार्य प्रगति का विवरण निम्न सारिणी में उपदर्शित किया गया है :–

योजनान्तर्गत चयनित जिलों में सेक्टरवार करवाये गये कार्यों का इकजाई विवरण

तालिका – VIII

क्र. सं.	सेक्टर का नाम	वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक के कार्यों की इकजाई संख्या							
		राजसमन्द		भीलवाड़ा		अजमेर		योग	
		स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
1	शिक्षा	100	90	91	90	53	53	244	233 (95.49)
2	चिकित्सा	17	15	14	6	9	7	40	28 (70.00)
3	महिला एवं बाल विकास	79	59	36	4	23	16	138	79 (57.24)
4	पंचायती राज	7	5	–	–	3	1	10	6 (60.00)
5	पशुपालन	6	4	–	–	–	–	6	4 (40.00)
6	सिंचाई	60	10	49	7	–	–	109	17 (15.60)
7	पेयजल	12	11	30	8	–	–	42	19 (45.23)
8	अन्य	187	152	157	157	21	18	365	327 (89.59)
	योग :	**468**	**346**	**377**	**272**	**109**	**95**	**954**	**713 (74.73)**

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

2.9.1.1 चयनित जिलों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक में सेक्टरवार करवाये गये कार्यों की उक्त सारिणी का अवलोकन करने से जानकारी मिलती है कि संदर्भित वर्षों में कुल 954 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 713(74.73 प्रतिशत) कार्य विभिन्न सेक्टर्स में करवाये गये हैं एवं 241 (25.27 प्रतिशत) कार्य शेष रहे। चयनित जिलों में सर्वाधिक विभागीय कार्यों में शिक्षा क्षेत्र के लिए 244 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 233 (95.49 प्रतिशत) कार्य करवाये गये हैं जिसको सभी चयनित जिलों ने आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की है। इसके साथ चिकित्सा क्षेत्र (सेक्टर) में स्वीकृत कार्यों को करने का प्रयास किया गया है जिसमें कुल 40 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 28(70.00 प्रतिशत) कार्यों को किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए चयनित जिलों में कुल 138 कार्यों में से 79 (57.24 प्रतिशत) कार्य करवाये गये हैं। योजनान्तर्गत सबसे कम कार्य सिंचाई विभाग के क्षेत्र में हुए हैं। जहाँ चयनित जिलों में संदर्भित वर्षों में कुल स्वीकृत 109 कार्यों के विपरीत 17(15.60 प्रतिशत) कार्य ही करवाये गये हैं। इसी प्रकार पेयजल सेक्टर में भी कुल स्वीकृत 42 कार्यों के विपरीत 19(45.23 प्रतिशत) कार्य ही संदर्भित वर्षों में किये गये हैं। चयनित जिलों में अन्य कार्यों पर ठीक ध्यान दिया गया है। अतः उक्त विभागवार (सेक्टरवार) कार्यों की प्रगति से स्पष्ट होता है कि मुख्य रूप से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई है जो मगरा क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता के लिए अति महत्व रखते हैं। सेक्टरवार कार्यों में पेयजल कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने की आवश्यकता है।

2.10 चयनित जिलों में योजना को क्रियान्वित करने वाले विभागीय कार्यकारियों से अध्ययन दल द्वारा जब उनसे यह जानकारी चाही गई कि मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें किन कठिनाईयों का सामना करना होता है तो जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) भीलवाड़ा के कार्यकारियों ने अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा जीविकोपार्जन के प्रशिक्षण हेतु 30/– रूपये की राशि का प्रावधान वर्ष 2008–09 के एक्शन प्लान में रखा गया है, उसको पंचायत समिति स्तर पर क्रियान्वयन में कठिनाई बताई गई। जीविकोपार्जन गतिविधी में भी कार्य का 40 प्रतिशत व्यय एवं ट्रेनिंग हेतु 10 प्रतिशत व्यय का प्रावधान रखा जाना चाहिए। अन्य चयनित जिलों में कार्यकारियों ने कोई कठिनाई व्यक्त नहीं की है।

2.11 चयनित पंचायत समितियों की स्थिति :

2.11.1 मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन हेतु अध्ययन रूपांकन (Study Design) के अनुसार चयनित जिलों में राजसमन्द एवं खमनोर पंचायत समिति भीलवाड़ा जिले की आसीन्द एवं माण्डल पंचायत समिति तथा अजमेर जिले की मसूदा पंचायत समिति का चयन किया गया। उक्त चयनित पंचायत समितियों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई वित्तीय एवं भौतिक कार्य प्रगति के आकलन हेतु चयनित पंचायत समितियों के कार्यकारियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की पंचायत समितिवार स्थिति निम्न प्रकार रही :–

2.11.2 **वित्तीय प्रगति** :–

2.11.2.1कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित पंचायत समितियों को वर्षवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

तालिका – IX

चयनित जिले का नाम	चयनित पंचायत समिति का नाम	वर्षवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण (राशि लाख रूपयों के)							
		2005–06		2006–07		2007–08		योग	
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
राजसमन्द	1. राजसमन्द	51.35	51.35	40.69	37.11	42.11	27.36	134.15	115.82 (86.33)
	2. खमनोर	43.19	43.19	37.14	32.84	38.95	18.48	119.28	94.51 (79.23)
भीलवाड़ा	3. आसीन्द	21.20	21.20	23.13	22.95	44.14	45.84	88.47	89.99 (101.71)
	4. माण्डल	43.49	42.39	55.44	49.54	57.13	42.00	156.06	133.93 (85.81)
अजमेर	5. मसूदा	14.48	14.60	12.18	15.22	6.38 (प्रथम किश्त)	10.50	33.04	40.32 (122.03)

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

2.11.2.2उपरोक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि गत तीन वर्षों की अवधि में भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति, माण्डल को सर्वाधिक कुल 156.06 लाख रूपये की राशि योजनान्तर्गत स्वीकृत की गई जिसके विपरीत 133.93 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। इसी प्रकार उक्त अवधि में योजनान्तर्गत सबसे कम राशि अजमेर जिले में मसूदा पंचायत समिति को 33.04 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई जबकि इस स्वीकृत राशि से आधिक्त 40.32 लाख रूपये व्यय किये गये, जो स्वीकृत राशि से 7.28 लाख रूपये अधिक है। यही स्थिति भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति आसीन्द में रही जहाँ 88.47 लाख रूपये की कुल राशि के विपरीत 89.99 लाख रूपये व्यय किये गये हैं। स्वीकृत राशि से अधिक राशि व्यय किये जाने एवं उसकी व्यवस्था करने संबंधी जानकारी करने पर पंचायत समिति मसूदा के कार्यकारी ने अतिरिक्त राशि की व्यवस्था अकाल राहत कार्यों एवं अन्य योजनाओं से डबलेट करना बताया है।

2.11.2.3उपरोक्त सारिणी के समंकों का अवलोकन करने से यह भी जानकारी मिलती है कि योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2005–06 में तो माण्डल पंचायत समिति को छोड़कर शेष चार पंचायत समितियों में स्वीकृत राशि का शत प्रतिशत/इससे अधिक राशि का उपयोग किया गया किन्तु बाद के वित्तीय वर्षों (2006–07 एवं 2007–08) के लगातार वर्षों में मसूदा एवं आसीन्द पंचायत समिति को छोड़कर अन्य चयनित पंचायत समितियों में स्वीकृत राशि के विपरीत व्यय राशि का शत–प्रतिशत उपयोग नहीं किया

गया। जिला स्तर पर जिला परिषद से प्राप्त सूचनाओं एवं पंचायत समिति स्तर की सूचनाओं में भी विरोधाभास है। जिला परिषद भीलवाड़ा द्वारा वर्ष 2005–06 में जिला स्तर का व्यय 3.82 लाख ही दर्शाया गया है जबकि पंचायत समिति आसीन्द व माण्डल द्वारा इसी अवधि में व्यय क्रमशः 21.20 लाख एवं 42.39 लाख रूपये दर्शाया गया है।

2.12 भौतिक कार्यों की स्थिति :

2.12.1 कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित पंचायत समितियों में वर्षवार स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये कार्यों की स्थति निम्न सारिणी में दर्शायी गई है :–

तालिका – X

चयनित जिलों के नाम	चयनित पंचायत समिति का नाम	वर्षवार स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की स्थिति (संख्याओं में) (दिसम्बर 2007 तक)							
		2005–06		2006–07		2007–08		योग	
		स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
राजसमन्द	1. राजसमन्द	19	19	21	17	18	11	58	47 (81.03)
	2. खमनौर	30	29	23	18	23	3	76	50 (65.79)
भीलवाड़ा	3. आसीन्द	60	50	65	10	23	22	148	82 (55.40)
	4. माण्डल	36	35	43	41	42	4	121	80 (66.12)
अजमेर	5. मसूदा	33	21	10	13	9	7	52	41 (78.85)
	योग :	**178**	**154 (86.52)**	**162**	**99 (61.11)**	**115**	**47 (48.87)**	**455**	**300 (65.93)**

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

नोट : पंचायत समिति मसूदा में वर्ष 2006–07 में स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्ष के शेष कार्य भी सम्मिलित हैं।

2.12.1.1उपरोक्त सारिणी को देखने से जानकारी मिलती है कि :–

(i) चयनित पंचायत समितियों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की 3 वर्षों की अवधि में भीलवाड़ा जिले की आसीन्द पंचायत समिति में सर्वाधिक 148 कार्य स्वीकृत किये गये एवं इन स्वीकृत कार्यों के विपरीत केवल 82(55.40 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण किये गये जो अन्य चयनित पंचायत समितियों की तुलना में सबसे कम है। इस पंचायत समिति की वित्तीय स्थिति की सारिणी का अवलोकन करें तो उक्त 82 कार्यों के विपरीत 88.47 लाख रूपये की स्वीकृत राशि के विपरीत

89.99 (101.71 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि ही व्यय की गई जो स्वीकृत राशि से भी आधिक्य है। जबकि सर्वे दिनांक को स्वीकृत कार्यों में से 66 कार्य शेष रह गये एवं इनको समयावधि में पूर्ण नहीं किये गये। इसी प्रकार जिले की माण्डल पंचायत समिति में भी कुल 121 स्वीकृत कार्यों के विपरीत संदर्भित वर्षों में केवल 80(66.12 प्रतिशत) कार्यों को ही पूर्ण किया जा सका एवं 41 कार्य शेष रह गये।

(ii) राजसमन्द जिले की चयनित राजसमन्द पंचायत समिति में संदर्भित वर्षों में कुल 58 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 47 (81.03 प्रतिशत) कार्य तथा जिले की खमनोर पंचायत समिति में कुल 76 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 50(65.79 प्रतिशत) कार्यों को ही पूर्ण किया गया। इस प्रकार दोनों चयनित पंचायत समितियों में क्रमशः 11 एवं 26 कार्य शेष रह गये।

(iii) अजमेर जिले की चयनित पंचायत समिति मसूदा में कुल स्वीकृत 52 कार्यों के विपरीत 41(78.85 प्रतिशत) कार्य ही संदर्भित वर्षों में पूर्ण किये गये जबकि इन स्वीकृत कार्यों के विपरीत कुल 33.04 लाख रूपये की स्वीकृत राशि के विपरीत 40.32 (122.03 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि डबलेटिंग के अन्तर्गत व्यय की गई है। उक्त पंचायत समिति में वर्ष 2006–07 में कुल 10 कार्यों को स्वीकृत किया गया एवं इसके विपरीत 13 कार्यों को करना अवगत करवाया है जिसमें पिछले वर्षों के शेष रहे स्वीकृत कार्य भी हैं।

(iv) उपरोक्त सारिणी से यह भी ज्ञात होता है कि योजना के प्रारम्भिक वर्ष में तो (पंचायत समिति मसूदा के अलावा) सभी चयनित पंचायत समितियों में कार्य प्रगति सन्तोषप्रद रही है किन्तु बाद के वर्षों (2006–07 एवं 2007–08) में कार्यक्रम को गति प्रदान नहीं की जा सकी एवं कार्यों को समय पर/वित्तीय वर्ष की अवधि में पूर्ण नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि उक्त वर्षों में लगातार शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मॉनिटरिंग/निरीक्षण का अभाव रहा है जिसके कारण कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके। अतः सुझाव दिया जाता है कि विभागीय/जिला स्तर पर कार्यों की समय–समय पर मॉनिटरिंग/निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि स्वीकृत कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण हो सके एवं योजना को गति मिल सके।

2.13 **योजनान्तर्गत पूर्ण किये गये कार्यों का स्थितिवार विवरण** :

2.13.1 चयनित की गई पंचायत समितियों के कार्यकारियों द्वारा अध्ययन के संदर्भित वर्षों में योजनान्तर्गत पूर्ण करवाये गये स्थितिवार कार्यों की उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका – XI

क्र. सं.	कार्यों का स्थितिवार विवरण	चयनित पंचायत समितिवार पूर्ण करवाये गये कार्यों की संख्या					
		राजसमन्द	खमनोर	आसीन्द	माण्डल	मसूदा	योग
1	मिड–डे मील किचन शैड	3	–	28	24	21	76 (25.33)
2	स्कूल की चारदीवारी निर्माण	15	24	24	9	3	75 (25.00)
3	स्कूल/शाला भवन निर्माण	2	–	14	17	–	33 (11.00)
4	आंगनबाड़ी भवन	10	17	12	3	6	48 (16.00)
5	ऐनीकट निर्माण	1	3	–	8	5	17 (5.67)
6	पेयजल सुविधाओं का विस्तार	8	–	–	5	–	13 (4.33)
7	सी.सी.रोड़/रास्ता	2	–	4	7	–	13 (4.33)
8	स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन	2	1	–	1	4	8 (2.67)
9	रोजगार सृजन सम्बन्धी कार्य	–	–	–	6	1	7 (2.33)
10	पशु चिकित्सा केन्द्र भवन	3	–	–	–	1	4 (1.33)
11	अन्य कार्य	–	3	–	–	–	3 (1.00)
12	पंचायत भवन	1	2	–	–	–	3 (1.00)
	योग :	**47**	**50**	**82**	**80**	**41**	**300 (100.00)**

कोष्ठक ( ) में प्रतिशत दिया गया है।

2.13.1.1उपरोक्त तालिका में स्थितिवार पूर्ण किये गये कार्यों के समंकों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि :–

(i) चयनित पंचायत समितियों में संदर्भित वर्षों (2005–06 से 2007–08) में प्राथमिकता के आधार पर स्थितिवार पूर्ण किये गये कुल 300 कार्यों में से 184(61.33 प्रतिशत) कार्य शिक्षा संबंधी क्षेत्र से संबंधित हैं। उक्त 300 कार्यों में से शाला/स्कूल निर्माण के 33 कार्य स्कूल की चारदीवारी के 75 कार्य तथा मिड–डे मील किचन शैड़ निर्माण के 76 कार्य पूर्ण किये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि, योजनान्तर्गत मगरा क्षेत्र के शिक्षा के ढांचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है ताकि मगरा क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के बच्चों में शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके।

(ii) द्वितीय स्तर पर चयनित पंचायत समितियों में 48(16.00 प्रतिशत) आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य एवं 17(5.67 प्रतिशत) कार्य जलग्रहण संरक्षण हेतु ऐनिकटों के निर्माण कार्य करवाये गये हैं। जबकि पेयजल सुविधाओं के 13(4.33 प्रतिशत) तथा आम रास्तों में सुधार/ आने जाने की सुविधाओं के लिए सी.सी. रोड़ के 13(4.33 प्रतिशत) निर्माण कार्य पूर्ण करवाये गये हैं। शेष कार्यों में 8(2.67 प्रतिशत) स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य 7(2.33 प्रतिशत) रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्य, 4(1.33 प्रतिशत) पशु चिकित्सा केन्द्र भवन निर्माण कार्य 3(1.00 प्रतिशत) अन्य निर्माण कार्य तथा 1(1.00 प्रतिशत) पंचायत भवन निर्माण कार्य संदर्भित वर्षों में पूर्ण करवाये गये हैं। अतः स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के साथ–साथ रोजगार सृजन संबंधी कार्यों को करवाया गया है ताकि मगरा क्षेत्र के लोगों को आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध हो सके।

अध्याय–तृतीय

सर्वेक्षण के समय निर्मित कार्यों की स्थिति

3.0 **चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन :**

3.1 राज्य सरकार द्वारा मगरा क्षेत्र एवं उसमें अधिवास करने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए वर्ष 2005–06 से मगरा क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की गई ताकि इस योजना/कार्यक्रम के माध्यम से उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके एवं मगरा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास हो सके।

3.1.1 योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु अध्ययन रूपांकन (Study Design) के अनुसार चयनित जिलों की पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। इन चयनित की गई पंचायत समितियों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक में पूर्ण हुए कार्यों की सूची तैयार कर उनमें किये गये चयनित कार्यों का मूल्यांकन अध्ययन दल द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया।

3.1.1.2 इस प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित पंचायत समितियों में पूर्ण किये गये कार्यों में से कुल 69 कार्यों का चयन किया जाकर उन्हें 17 श्रेणियों में विभाजित कर उनका विश्लेषण किया गया है जिनमें राजसमन्द जिले की पंचायत समिति राजसमन्द से 15, पंचायत समिति खमनोर से 8, भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति आसीन्द से 18 एवं पंचायत समिति माण्डल से 19 तथा अजमेर जिले की पंचायत समिति मसूदा से 9 कार्यों को चयनित कर उनका भौतिक सत्यापन किया गया है।

3.1.1.3 अध्ययन हेतु संदर्भित वर्षों में पूर्ण हुये जिन चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है, उनका पंचायत समितिवार एवं श्रेणीवार विवरण निम्न सारिणी में प्रस्तुत किया गया है :–

तालिका – I

क्र. सं.	कार्य का नाम /कार्यों का श्रेणीवार विवरण	पंचायत समितिवार चयनित किये गये कार्यों की संख्या					
		चयनित जिला एवं पंचायत समिति					
		राजसमन्द		भीलवाड़ा		अजमेर	योग
		राजसमन्द	खमनोर	आसीन्द	माण्डल	मसूदा	
1	चारदीवारी निर्माण कार्य	5	2	2	9	1	19
2	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	4	2	2	–	1	9
3	किचनशैड निर्माण	–	–	4	–	2	6
4	स्कूल में कमरा निर्माण कार्य	–	–	2	3	–	5
5	उप स्वास्थ्य केन्द्र	1	1	–	–	1	3
6	चिकित्सालय भवन निर्माण	–	–	–	–	1	1
7	आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र भवन निर्माण	–	–	–	–	1	1
8	पशु चिकित्सालय भवन निर्माण	1	–	–	–	1	2
9	राजीव गांधी पाठशाला भवन निर्माण	1	–	–	–	–	1
10	पेयजल टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन विस्तार	1	–	1	–	–	2
11	पंचायत भवन निर्माण कार्य	–	2	–	–	–	2
12	पटवार भवन निर्माण	–	–	–	1	–	1
13	आम रास्ता/ सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	1	–	2	1	–	4
14	ऐनीकट निर्माण कार्य	–	1	–	–	1	2
15	कुआं निर्माण	–	–	1	–	–	1
16	चारागाह विकास कार्य	–	–	4	1	–	5
17	तालाब/नहर/नाड़ी की पक्की दीवार	1	–	–	4	–	5
	योग :	**15**	**8**	**18**	**19**	**9**	**69**

3.1.1.4 मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत पूर्ण किये गये कार्यों में से उक्त चयनित किये गये जिन कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है, उनके लिए मदवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण निम्न सारिणी में अंकित किया गया है :–

तालिका – II

क्र. सं.	मद	चयनित पंचायत समिति									
		राजसमन्द		खमनोर		आसीन्द		माण्डल		मसूदा	
		स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय
1	श्रम पर	26.12	6.67	15.20	4.38	8.21	7.48	7.62	6.91	3.38	3.38
2	सामग्री पर	NR	19.42	NR	10.12	9.56	9.29	14.77	14.83	9.91	9.91
	योग	**26.12**	**26.09**	**15.20**	**14.50**	**17.77**	**16.77**	**22.39**	**21.74**	**13.29**	**13.29**
	प्रतिशत		**99.89**		**95.40**		**94.37**		**97.10**		**100.00**

3.1.1.5 उक्त सारिणी से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि, अध्ययन हेतु चयनित कार्यों पर स्वीकृति के अनुसार ही व्यय किया गया है किसी भी पंचायत समिति में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया गया है एवं यह स्थिति सभी पंचायत समितियों में समान रूप से लागू है। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं श्रम पर भी किया गया व्यय स्वीकृति के अनुसार ही किया गया है। इस स्थिति को कार्यों के अनुसार देखने पर पाया गया कि, सभी कार्यों पर व्यय स्वीकृति राशि के अनुसार ही किया गया है। उपरोक्त सारिणी को देखने से यह भी संकेत मिलता है कि, मगरा क्षेत्र विकास कार्यों पर श्रम की तुलना में निर्माण सामग्री पर अधिक राशि व्यय की गई है जो रोजगार की दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती क्योंकि सामग्री की तुलना में श्रम पर अधिक राशि व्यय होने पर इससे श्रमिकों को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते। राजसमद जिले की राजसमन्द एवं खमनोर पंचायत समिति में सामग्री पर स्वीकृत राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

3.2 निर्माण कार्य करने वाली एजेन्सी :

3.2.1 अध्ययन के दौरान भौतिक सत्यापन हेतु चयनित 69 कार्यों का निर्माण कार्य करने वाली ऐजेन्सी/अभिकरण के बारे में जानकारी करने पर संबंधित क्षेत्र के अभिकरण के कार्यकारियों ने उक्त सभी भौतिक सत्यापन किये गये निर्माण कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा करवाया जाना बताया गया है।

3.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र :

3.3.1 भौतिक सत्यापन हेतु चयनित किये गये कार्यों के संबंध में यह जानकारी करने पर कि निर्मित एवं पूर्ण किये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवाये गये या नहीं, तत्संबंध में अभिकरण के कार्यकारियों ने भौतिक सत्यापन हेतु चयिनत 69 कार्यों में से 68 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवाना एवं 1 कार्य का नहीं भिजवाना अवगत करवाया गया। जिस 1 कार्य का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं भिजवाने के कारणों की जानकारी करने पर एम.बी. पूर्ण नहीं होने एवं कार्य शेष रह जाने के कारण उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं भिजवाना बताया है।

3.4 कार्यस्थल का चयन एवं उपयुक्तता :

3.4.1 भौतिक सत्यापन के लिए चयनित किये गये कार्यों के लिए कार्यस्थल का चुनाव/ चयन उपयुक्त एवं सही था या नहीं के बारे में जानकारी करने पर समस्त 69 चयनित कार्यों का कार्यस्थल का चयन उपयुक्त एवं कार्यस्थल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया।

3.5 चयनित कार्यों का स्वीकृत वर्ष :

3.5.1 अध्ययन के दौरान भौतिक सत्यापन हेतु चयनित किये गये 69 कार्यों को योजनान्तर्गत किस–किस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया, तत्संबंधी जानकारी करने पर जो सूचनाऐं प्राप्त हुई उनका पंचायत समितिवार एवं वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका – III

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति का नाम	कुल चयनित कार्यों की संख्या	चयनित कार्यों की वर्षवार संख्या		
			2005–06	2006–07	2007–08
1	राजसमन्द	14	4	4	6
2	खमनोर	8	5	2	1
3	आसीन्द	18	8	10	–
4	माण्डल	20	4	9	7
5	मसूदा	9	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	योग :	**69**	**21**	**25**	**14**

3.5.2 उपरोक्त सूचनाओं से जानकारी मिलती है कि, चयनित पंचायत समितियों में अध्ययन हेतु चयनित कुल 69 कार्यों में से केवल 60 कार्यों की ही सूचनाऐं उपलब्ध हुई है। मसूदा पंचायत समिति में चयनित 9 कार्यों की वर्षवार स्वीकृति की सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त 60 कार्यों में से वर्ष 2005–06 में 21 कार्य, वर्ष 2006–07 में 25 कार्य तथा वर्ष 2007–08 में 14 कार्यों को स्वीकृत किया गया।

3.6 स्वीकृत कार्यों पर श्रमिकों का नियोजन :

3.6.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये कार्यों पर नियोजित किये श्रमिकों के संबंध में कार्यकारियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई पंचायत समितिवार सूचनाओं को निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

तालिका – IV

क्र. सं.	श्रमिकों का वर्गीकरण	पंचायत समितिवार श्रमिकों की संख्या				
		राजसमन्द	खमनोर	आसीन्द	माण्डल	मसूदा
1	2	3	4	5	6	7
1	**वर्गानुसार** :					
	1. अनुसूचित जाति	288	95	76	अनुपलब्ध	2
	2. अनुसूचित जनजाति	237	200	2	अनुपलब्ध	4
	3. अन्य	112	98	222	5	44
2	**लिंगानुसार** :					
	1. महिला	326	227	106	3	24
	2. पुरूष	311	166	194	2	26
3	**आर्थिक वर्गीकरण** :					
	1. बी.पी.एल.	160	207	21	अनुपलब्ध	12
	2. ए.पी.एल.	477	186	279	5	38
4	**कार्यस्थल/निवास के अनुसार** :					
	1. ग्राम के	495	268	265	5	50
	2. ग्राम के बाहर के	142	125	35	अनुपलब्ध	निल

3.6.2 उक्त सारिणी का अवलोकन करने से निम्न संकेत मिलते हैं :–

(क) राजसमन्द जिले की राजसमन्द एवं खमनोर पंचायत समिति में योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों पर नियोजित कुल 1037 श्रमिकों में से सर्वाधिक संख्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रमिकों की है, जिसमें दोनों पंचायत समितियों में 437(42.43 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के तथा 383(37.18 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के श्रमिक नियोजित किये गये। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त जिले में अधिकांश अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। जबकि इसके विपरीत भीलवाड़ा जिले की आसीन्द पंचायत समिति में चयनित कार्यों पर कुल 300 श्रमिक नियोजित किये गये इनमें से अनुसूचित जाति के 76(33.33 प्रतिशत) श्रमिक एवं 2(0.67 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के तथा 222(74.00 प्रतिशत) श्रमिक अन्य वर्ग के नियोजित थे। यही स्थिति अजमेर जिले की पंचायत समिति, मसूदा में रही यहाँ नियोजित किये गये कुल 50 श्रमिकों में से 44(88.00 प्रतिशत) श्रमिक अन्य वर्ग के नियोजित किये गये एवं 2(4.00 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के तथा 4(8.00 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति वर्ग में से थे। माण्डल पंचायत समिति में नियोजित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों की सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण विश्लेषण नहीं किया गया है केवल अन्य वर्ग के 5 श्रमिकों को नियोजित होने की सूचना उपलब्ध हुई है।

(ख) उक्त सारिणी से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि, नियोजित किये गये श्रमिकों में पुरूष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक थी। उदाहरणार्थ पंचायत समिति राजसमन्द में नियोजित किये गये कुल श्रमिकों में से 51.18 प्रतिशत महिला श्रमिक नियोजित थी, पंचायत समिति खमनोर में कुल 393 श्रमिकों में से महिला श्रमिकों की संख्या 57.76 प्रतिशत थी। इस स्थिति से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस मगरा क्षेत्र में महिला वर्ग पुरूषों की तुलना में अधिक कार्यशील हाती है।

(ग) मगरा क्षेत्र विकास योजना में करवाये गये कार्यों पर औसत गरीबी रेखा एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले दोनों ही वर्गों के श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं। जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों को रोजगार मिलने में सुविधा मिली है।

(घ) मगरा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत सम्पन्न करवाये गये कार्यों पर अधिकांश रूप से उस ग्राम के ही व्यक्तियों/श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

3.7 **मजदूरी का भुगतान** :

3.7.1 मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत चयनित कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को निर्धारित टास्क के अनुसार मजदूरी दी गई या नहीं की जानकारी ज्ञात करने पर अवगत करवाया गया कि नियोजित श्रमिकों को निर्धारित टास्क के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया गया है जिसमें नकद एवं सामग्री के रूप में मजदूरी दी गई है।

3.7.1.2 अध्ययन हेतु चयनित कुल 69 कार्यों में से 60 कार्यों की उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 45 कार्यों पर केवल नकद राशि के रूप में एवं 15 कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को नकद एवं सामग्री दोनों के रूप में मजदूरी दी गई है। मसूदा पंचायत समिति के चयनित 9 कार्यों पर मजदूरी के भुगतान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई इसलिए इसका विश्लेषण नहीं किया जा सका है।

3.7.1.3 नियोजित श्रमिकों को नकद एवं सामग्री के रूप में दी गई मजदूरी के अनुपात की जानकारी भी ली गई। उक्त 15 कार्यों पर नकद एवं सामग्री के रूप में दी गई मजदूरी का अनुपात खमनोर पंचायत समिति के कार्यों पर 25 प्रतिशत नकद एवं 75 प्रतिशत सामग्री के रूप में तथा आसीन्द एवं माण्डल पंचायत समिति में 11 कार्यों पर 67 प्रतिशत नकद एवं 33 प्रतिशत सामग्री के रूप में मजदूरी का भुगतान किया गया है, जो अकाल राहत कार्यों से जोड़कर तदनुसार योजनान्तर्गत भुगतान किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकांश कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को नकद मजदूरी दी गई है।

3.7.1.4 चयनित कार्यों पर श्रमिकों को निर्धारित समयावधि में भुगतान किया या नहीं, की जानकारी करने पर चयनित कार्यों पर शत प्रतिशत नियोजित श्रमिकों को टास्क के अनुसार मजदूरी का भुगतान निर्धारित समयावधि में किया जाना अवगत करवाया है।

3.8 कार्य की प्रकृति :

3.8.1 भौतिक सत्यापन हेतु 69 चयनित कार्यों की प्रकृति के संबंध में यह जानकारी भी की गई कि मगरा क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत करवाये गये कार्य नये थे अथवा पुराने कार्यों की ही मरम्मत करवाई गई तत्संबंध में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने भौतिक सत्यापन में पाया कि दोनों ही प्रकार के कार्य करवाये गये जिनमें अधिकतर कार्य नये थे। अध्ययन हेतु चयनित 69 कार्यों में से नये तथा पुराने/ मरम्मत हुये कार्यों का कार्यवार एवं पंचायत समितिवार विवरण निम्न सारिणी में उपलब्ध है :–

तालिका – V

क्र. सं.	कार्य का नाम	चयनित पंचायत समितिवार कार्यों का संख्या											
		राजसमन्द		खमनोर		आसीन्द		माण्डल		मसूदा		योग	
		नया	पुराना	नया	पुराना	नया	पुराना	नया	पुराना	नया	पुराना	नया	पुराना
1	चारदीवारी निर्माण	4	1	2	–	2	–	8	1	1	–	17	2
2	आंगनबाड़ी	4	–	2	–	2	–	–	–	1	–	9	–
3	किचनशैड निर्माण	–	–	–	–	4	–	–	–	2	–	6	–
4	स्कूल में कमरा निर्माण	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	5	–
5	उप स्वास्थ्य केन्द्र	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	3	–
6	चिकित्सा भवन निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
7	आयुर्वेद चिकित्सा भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
8	पशु चिकित्सालय भवन निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
9	रा.गा.पाठशाला भवन निर्माण	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–
10	पेयजल टंकी/ पाईपलाईन विस्तार	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–
11	पंचायत भवन निर्माण	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
12	पटवार भवन निर्माण	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
13	सी.सी.रोड़	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	4	–
14	ऐनीकट निर्माण	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–
15	कुआ निर्माण	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
16	तालाब/नहर पक्की दीवार	1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	5	–
17	चारागाह विकास	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	3	2
	योग :	**13**	**1**	**8**	**–**	**17**	**2**	**19**	**1**	**9**	**–**	**65**	**4**

3.8.2 उक्त स्थिति का अवलोकन करने से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अध्ययन हेतु चयनित किये गये 69 कार्यों में से 65 कार्य नये करवाये गये तथा 4 पुराने कार्यों की मरम्मत/विस्तार के कार्य करवाये गये हैं। उक्त सारिणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पंचायत समिति राजसमन्द एवं माण्डल में 2 कार्य चारदीवारी की मरम्मत/विस्तार के पुराने कार्य थे। पंचायत समिति आसीन्द में चारागाह विकास के 2 पुराने कार्यों को योजनान्तर्गत करवाया गया, शेष सभी कार्य नये करवाये गये हैं।

3.9 कार्य स्वीकृति से पूर्व केन्द्रों की स्थिति :

3.9.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये कुल 69 कार्यों में से उनकी कार्य स्वीकृति से पूर्व इनमें से संचालित केन्द्र कहाँ चल रहे थे, संबंधी जानकारी की गई तत्संबंध में स्वीकृति से पूर्व संचालन संबंधी इन केन्द्रों के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसका विवरण निम्न सारिणी में अंकित किया गया है :–

तालिका – VI

क्र. सं.	स्वीकृति से पूर्व संचालित केन्द्रों का विवरण	कुल केन्द्रों की संख्या	कार्य स्वीकृति से पूर्व केन्द्रों के संचालन की भौतिक स्थिति (संख्या में)		
			किराये के मकान/भवन में	सरकारी भवन में	अन्यत्र स्थान पर
1	आंगनबाड़ी केन्द्र	9	7	1	1
2	उप स्वास्थ्य केन्द्र	3	1	2	–
3	चिकित्सालय	1	–	–	1
4	आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र	1	–	–	1
5	पशु चिकित्सालय	2	1	–	1
6	राजीव गांधी पाठशाला	1	–	1	–
7	विद्यालयों में कमरा निर्माण	5	–	5	–
8	किचन शैड	6	–	2	4
9	पटवार भवन	1	1	–	–
10	पंचायत भवन	2	–	1	1
	योग :	**31**	**10**	**12**	**9**

3.9.2 उपरोक्त सारिणी में दी गई सूचनाओं को देखने से यह जानकारी मिलती है कि चयनित पंचायत समितियों में अध्ययन हेतु चयनित किये गये 69 कार्यों में से 31 केन्द्र संचालित किये जा रहे थे, जो जन सेवा सुविधा से संबंधित थे। योजनान्तर्गत स्वीकृति से पूर्व इन केन्द्रों की भौतिक स्थिति पृथक–पृथक स्थानों/भवनों में स्थित थी जिनमें 10 केन्द्र किराये के भवनों में एवं 9 केन्द्र अन्यत्र स्थानों पर तथा 12 केन्द्र सरकारी

भवनों में संचालित किये जा रहे थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुल 31 केन्द्रों में से अधिकांश केन्द्र ऐसे थे, जो किराये के भवनों में एवं अन्य स्थानों पर संचालित किये जा रहे थे। अतः योजनान्तर्गत स्वीकृति से पूर्व इन केन्द्रों की भौतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन केन्द्रों के लिए सरकारी भवन निर्मित कर दिये गये जिससे किराये के विरूद्ध होने वाले सरकारी व्यय में तो बचत हुई ही है साथ ही सरकारी परिसम्पत्तियों का स्थाई निर्माण होने से परिसम्पत्तियों का सृजन भी हुआ है।

3.2.1 अध्ययन के दौरान पूर्व में इन केन्द्रों के भवनों की स्थिति किस प्रकार की थी ? तत्संबंधी जानकारी करने पर संबंधित ऐजेन्सी के कार्यकारियों ने जो स्थिति वर्णित की है उसका विवरण निम्न प्रकार से अभिलिखित किया गया है :–

(i) केन्द्र किराये के मकान/भवनों में थे एवं उपलब्ध भवन/स्थान काफी कम था जिससे केन्द्रों के संचालन में कठिनाई आ रही थी।
(ii) किराये का मकान कच्चा था जिससे परेशानी हो रही थी।
(iii) भवन जर्जर अवस्था में था जिससे खतरा बना हुआ था।
(iv) विद्यालयों में कमरों का अभाव था बच्चों को खुले में बैठाकर कक्षा लेनी पड़ती थी जिससे मौसम संबंधी कठिनाईयाँ होती थी।
(v) किचनशैड अन्यत्र होने से खुले में खाना पकाना पड़ता था जिससे कई परेशानियाँ उठानी होती थी।
(vi) किचनशैड पृथक नहीं होने से खुले में खाना बनाना होता था।
(vii) किचनशैड मापदण्डानुसार नहीं था। धुएं के निकास की व्यवस्था नहीं थी।
(viii) चारदीवारी नहीं होने से सुरक्षा का अभाव था एवं साथ ही अतिक्रमण का डर था।
(ix) चिकित्सा केन्द्र पर आने वाले रोगियों को एवं कार्यरत स्टाफ को परेशानी हो रही थी।

3.10 **चयनित कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोग** :

3.10.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये कार्यों को क्षेत्रीय कार्य के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा मौके पर उपस्थिति होकर मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्यों की स्थिति का अवलोकन किया गया तत्संबंध में प्राप्त जानकारी का पंचायत समितिवार विवरण निम्न सारिणी में उपलब्ध है :–

तालिका – VII

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति	कुल चयनित कार्य	कार्यों की वर्तमान स्थिति (संख्या में)		
			अच्छी	साधारण	खराब
1	राजसमन्द	14	14	–	–
2	खमनोर	8	8	–	–
3	आसीन्द	18	14	3	1
4	माण्डल	20	15	5	–
5	मसूदा	9	8	1	–
	योग :	**69**	**59**	**9**	**1**

3.10.2 उक्त सारिणी मगरा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करती है। पंचायत समिति राजसमन्द एवं खमनोर में चयनित कुल 22 कार्यों का भौतिक सत्यापन करने पर मूल्यांकन दल की राय में शत प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता अच्छी थी। जबकि पंचायत समिति आसीद में कुल चयनित 18 कार्यों में से 14(77.78 प्रतिशत) कार्यों की गुणवत्ता अच्छी थी जबकि 3(16.66 प्रतिशत) की साधारण तथा 1(5.56 प्रतिशत) कार्यों की गुणवत्ता खराब पाई गई। पंचायत समिति माण्डल में कुल 20 चयनित कार्यों में से 15(75.00 प्रतिशत) कार्यों की गुणवत्ता अच्छी एवं 5(25.00 प्रतिशत) कार्यों का साधारण गुणवत्ता का अंकन किया गया। मसूदा पंचायत समिति में कुल 9 चयनित कार्यों में से 8(88.88 प्रतिशत) कार्य अच्छी गुणवत्ता वाले तथा 1(11.12 प्रतिशत) कार्य साधारण श्रेणी की स्थिति में पाये गये। उक्त समग्र विश्लेषण से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि कुल 69 कार्यों में से 59(85.50 प्रतिशत) कार्यों की गणुवत्ता अच्छी एवं 9(13.05 प्रतिशत) कार्यों की गुणवत्ता साधारण श्रेणी की तथा 1(1.45 प्रतिशत) कार्य खराब स्थिति के थे।

3.10.3 क्षेत्रीय कार्य के दौरान मूल्यांकन अध्ययन दल द्वारा अध्ययन हेतु चयनित किये गये 69 कार्यों की कार्यवार गुणवत्ता कैसी है एवं इन पूर्ण करवाये गये कार्यों का उपयोग हो रहा है अथवा नहीं आदि बिन्दुओं की जानकारी एवं उनकी भौतिक स्थिति का सत्यापन करने पर प्राप्त सूचनाओं का कार्यवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका – VIII

क्र. सं.	कार्यों की श्रेणी/ नाम	कुल चयनित कार्यों की संख्या	कार्यों की गुणवत्ता कैसी है			क्या करवाये गये कार्यों का उपयोग हो रहा है	
			अच्छी	साधारण	खराब	हाँ	नहीं
1	आंगनबाडी केन्द्र	9	9	–	–	9	–
2	उप स्वास्थ्य केन्द्र	3	3	–	–	2	1
3	चिकित्सालय	1	1	–	–	–	1
4	आयुर्वेद चिकित्सालय	1	1	–	–	1	–
5	पशु चिकित्सालय	2	1	1	–	1	1
6	राजीव गांधी पाठशाला	1	1	–	–	1	–
7	किचन शैड	6	6	–	–	6	–
8	विद्यालयों में कमरा निर्माण	5	5	–	–	3	2
9	पटवार भवन	1	1	–	–	1	–
10	पंचायत भवन	2	2	–	–	2	–
11	विद्यालयों में चारदीवारी	19	17	2	–	19	–
12	कुआं निर्माण	1	1	–	–	1	–
13	पेयजल टंकी/पाइप लाईन का विस्तार	2	1	1	–	1	1
14	सी.सी.रोड़/ आम रास्ता	4	3	1	–	4	–
15	एनीकट निर्माण	2	2	–	–	–	2
16	तालाब की मोरी/रपट/नहर/नाड़ी की पक्की दीवार	5	5	–	–	2	3
17	चारागाह विकास	5	–	4	1	2	3
	योग :	**69**	**59**	**9**	**1**	**55**	**14**

3.10.4 मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तगत करवाये गये कार्यों के संबंध में उपरोक्त सारिणी में कार्यों की गुणवत्ता की स्थिति स्पष्ट है। यहाँ पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि कार्यों की भौतिक स्थिति की गुणवत्ता का आंकलन कार्यों के मौके की स्थिति को देखकर किया गया है क्योंकि, मूल्यांकन दलों में कोई तकनीकी सदस्य नहीं थे। अतः इसका अवलोकन सापेक्ष दृष्टि से किया जाना चाहिए एवं उक्त विश्लेषण को गम्भीरता से देखा जाना चाहिए।

3.10.5 मूल्यांकन दलों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के दौरान मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत कार्यों की जो भौतिक स्थिति देखी गई उनका कार्यवार संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :–

(1) **चारागाह विकास कार्य** :–

इस कार्य के अन्तर्गत पशुओं की चराई हेतु चारागाह के कार्य करवाये गये थे। अवलोकन करने पर पाया कि भीलवाड़ा जिले की आसीन्द एवं माण्डल पंचायत समिति में उक्त कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाये गये एवं न ही इनका उपयोग हो रहा है। आसीन्द पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कटार, भोजपुरा एवं भंभाणा में 10 से 15 हैक्टेयर भूमि में चारागाह विकास कार्य करवाये गये थे किन्तु मौके पर उक्त चारागाह में पशुओं के लिए घार/चारा पत्ती नहीं थी एवं वहाँ पर विदेशी/देशी बबूल के पेड़ उगे हुए थे। चारागाह विकास हेतु लगाई गई धामण घास, रतनजोत पानी के अभाव/कमी के कारण नष्ट हो गई। यही स्थिति धनेरी एवं अलगवास ग्रामों में थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त चारागाह क्षेत्रों को विकसित किया जावे एवं इनके संधारित/देखरेख की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इन कार्यों का उपयोग हो सके।

(2) **तालाब रपट व नहरी नाड़ी कार्य** :

क्षेत्र कार्य के दौरान पंचायत समिति, माण्डल की ग्राम पंचायत भमाणा एवं ग्राम सदेड़ी तथा ग्राम पंचायत गोरधनपुरा में वर्ष 2007–08 में तालाबों की मोरी रपट व नहर की दीवार कार्य करवाये गये हैं। अवलोकन करने पर पाया कि कार्य गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छे किये गये हैं किन्तु ग्राम पंचायत भंभाणा एवं गोरधनपुरा में इन कार्यों का उपयोग तालाब में पानी के अभाव में नही हो पा रहा है। इसी प्रकार गोरधनपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम बाजगणा में तालाब की फेसवाल (दीवार) एवं रपट कार्य का निर्माण भी इसी वित्तीय वर्ष में हुआ है जो 75 फीट लम्बी 5 फीट गहरी एवं डेढ़ फीट चौड़ी दीवार का निर्माण करवाया गया। कार्य साधारण प्रकृति का है। पानी नहीं होने से अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। यदि दीवार को अधिक मजबूत किया जाता तो और अच्छा होता।

(3) **एनीकट** :

ग्राम पंचायत धोलादाता के पंचायत समिति, मसूदा के ग्राम रागपुरा में योजनान्तर्गत श्री हजारी रैगर के कुऐ के पास एनीकट का निर्माण कार्य वर्ष 2006–07 में किया गया है। जिस पर 2 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। एनीकट का कैचमेन्ट ऐरिया उपयुक्त था एवं कार्य सन्तोषप्रद था। उक्त एनीकट निर्माण में 565 मानव दिवस सृजित हुये थे। अवलोकन करने पर पाया कि ऐनीकट का एक हिस्सा टूटा हुआ था। अतः इस टूटे हुए हिस्से की मरम्मत करवाई जानी चाहिए ताकि ऐनीकट को वर्षा में अधिक नुकसान नहीं हो सके। टूटने का खतरा नहीं हो। इसी प्रकार राजसमन्द जिले की पंचायत समिति खमनोर की ग्राम पंचायत बागोल के ग्राम परावल में वर्ष 2006–07 में नया ऐनीकट का निर्माण कार्य करवाया गया है जिस पर 1.92 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। कार्य गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छा था एवं

उपयुक्त स्थान का चयन किया गया था। अवलोकन करने पर पाया कि उक्त एनीकट में पानी नहीं था जिसके कारण वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। यदि पर्याप्त वर्षा होती है तो उक्त ऐनीकट ग्रामवासियों के लिए काफी लाभदायक होगा क्योंकि इससे पशुओं को पेयजल तो मिलेगा ही साथ ही आसपास के खेत, खलिहानों को भी पानी मिलने लगेगा तथा भूमि के जल स्तर में भी वृद्धि होगी।

(4) **पशु चिकित्सालय भवन निर्माण** :

पंचायत समिति, मसूदा की ग्राम पंचायत देवमाली के ग्राम केलू में वर्ष 2006–07 में पशु चिकित्सालय भवन का नया निर्माण कार्य डवलेटिंग के अन्तर्गत करवाया गया है। पूर्व में यह चिकित्सालय अन्यत्र डेयरी भवन में संचालित हो रहा था। निर्मित भवन का उपयोग नहीं हो रहा है। अवलोकन करने पर पाया कि भवन निर्माण कार्य अभी भी शेष है। जिसमें बिजली की फिटिंग, मेनगेट एवं फर्श, कमरे के सामने चारदीवारी आदि कार्य नहीं किये गये हैं। कार्य साधारण प्रकृति का है तथा अभी भी कुछ कार्य शेष है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त चिकित्सालय में शेष रहे निर्माण कार्यों को पूर्ण करवाया जाना चाहिए।

(5) **उप स्वास्थ्य केन्द्र** :

राजसमन्द जिले की राजसमन्द पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पसून्द में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व में ग्राम पंचायत के एक कमरे में संचालित किया जा रहा था। योजनान्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण पर लगभग 2.66 लाख रूपये की राशि व्यय की गयी है तथा उक्त कार्य निर्माण जून 2007 में पूर्ण कर दिया गया किन्दु अभी तक इस केन्द्र को नये भवन में स्थानान्तरित नहीं किया गया है जिससे ग्रामवासियों को एवं आसपास के लोगों को कठिनाई हो रही है। कार्य गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छा था किन्तु उपयोग नहीं हो रहा है। इसी प्रकार मसूदा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धौलादाता में वर्ष 2006–07 में 2.30 लाख रूपये की लागत से उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया गया जिसमें 595 मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। निर्माण कार्य सन्तोषप्रद था। उक्त केन्द्र डवलेटिंग कर बनवाया गया है जिसमें 1.69 लाख रूपये मगरा योजना से, 0.46 लाख रूपये अकाल राहत से नकद तथा 0.14 लाख रूपये की सामग्री के रूप में गेहूँ सम्मिलित है। सर्वे दिनांक को केन्द्र बन्द पाया गया। जिसके कारण केन्द्र के अन्दर निर्मित स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाई।

(6) **चिकित्सालय भवन निर्माण** :

अजमेर जिले की मसूदा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दौलतपुरा के ग्राम कालूपुरा में वर्ष 2005–06 में योजनान्तर्गत डवलेटिंग से चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य करवाया गया है जिस पर 2.12 लाख रूपये की राशि व्यय की गई। पूर्व में यह

चिकित्सालय आंगनबाडी केन्द्र पर संचालित किया जा रहा था। अवलोकन करने पर पाया कि उक्त चिकित्सालय भवन का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा ताला लगा हुआ है। गुणवत्ता की दृष्टि से निर्माण कार्य सन्तोषप्रद नहीं है। भवन में चार कमरे निर्मित किये हुए हैं किन्तु भवन का उपयोग नहीं होने से ग्रामवासियों को लाभ नहीं मिल रहा है एवं भवन के खाली पड़े रहने से भवन का संधारण भी नहीं हो पा रहा है। अतः चिकित्सालय भवन को उपयोग में लिया जाना चाहिए।

(7) **विद्यालयों में कमरा निर्माण** :

मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या एवं अन्य उपयोग की दृष्टि से अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य करवाया गया है। चयनित कार्यों में 5 कार्य विद्यालयों में कमरा निर्माण के हुए हैं जिसमें 3 विद्यालयों में कमरों का उपयोग किया जा रहा है किन्तु 2 विद्यालयों में उपयोग नहीं किया जा रहा था। आसीन्द पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कटार के सांकड़ कावड़िया ग्राम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 18 फीट X 22 फीट का एक कमरे का निर्माण वर्ष 2005–06 के वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर दिनांक 25.7.07 को कमरे का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया जिस पर 107250 रूपये की कुल राशि व्यय की गई है। कार्य की गुणवत्ता अच्छी थी किन्तु इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। कक्षा कक्ष के लिए अतिरिक्त कमरा बन जाने से भविष्य में इसका उपयोग किया जाना बताया है। इसी प्रकार पंचायत समिति, माण्डल की ग्राम पंचायत गोरधनपुरा के कांगसों का वाडिया में वर्ष 2006–07 में शिक्षाकर्मी विद्यालय के लिए 25 फीट X 30 फीट का एक हॉल का निर्माण कार्य करवाया गया, गुणवत्ता की दृष्टि से कार्य अच्छा है तथा इस पर 1,07,100 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। सर्वेक्षण के दौरान इस नवीन भवन कार्य का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

(8) **पेयजल हेतु पाईपलाइन का विस्तार** :

सर्वे के दौरान देखा गया कि पंचायत समिति, आसीन्द की ग्राम पंचायत गौवलिया में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु एक किलोमीटर लम्बी पाईपलाइन डाली गई थी तथा साथ ही कुए को गहरा करवाया गया जिस पर 1.07 लाख रूपये की राशि व्यय की जाकर उक्त सार्वजनिक कुए को इसे जोड़ा गया है ताकि ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध हो सके किन्तु मौके पर कार्य अधूरा पड़ा है एवं इसका उपयोग नहीं हो रहा है। उक्त कार्य 01.04.07 को प्रारम्भ किया गया तथा 15.11.07 को पूर्ण कर दिया जाना बताया गया है किन्तु पाईनलाइन चालू नहीं होने से पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतः सुझाव दिया जाता है कि कार्य शीघ्र पूर्ण कर पाईपलाइन चालू की जानी चाहिए ताकि ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध हो सके।

3.11 **कार्य/सम्पत्ति के रखरखाव की स्थिति** :

3.11.1 अध्ययन के दौरान यह भी जानकारी करने का प्रयास किया गया कि निर्मित संसाधनों के रखरखाव की स्थिति कैसी है ? इस संबंध में की गई जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका – IX

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति का नाम	कुल चयनित कार्य	कार्य/सम्पत्ति के रखरखाव की स्थिति		
			अच्छा	साधारण	नहीं
1	राजसमन्द	14	12	1	1
2	खमनोर	8	8	–	–
3	आसीन्द	18	9	5	4
4	माण्डल	20	6	12	2
5	मसूदा	9	6	1	2
	योग :	**69**	**41**	**19**	**9**
	प्रतिशत	**–**	**59.42**	**27.54**	**13.04**

3.11.2 उक्त तालिका मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्य/सम्पत्तियों के रखरखाव की स्थिति स्पष्ट करती है। उपरोक्त स्थिति के अनुसार 59.42 प्रतिशत कार्य/सम्पत्तियों के रखरखाव की स्थिति अच्छी है तथा 27.54 प्रतिशत सम्पत्तियों का रखरखाव ठीक–ठीक है परन्तु 13.04 प्रतिशत कार्य/सम्पत्तियों का रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। जिन कार्य/सम्पत्तियों का रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है उनमें चारागाह विकास, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केन्द्र पेयजल की पाईपलाइन का विस्तार एवं एनीकट है।

अध्याय–चतुर्थ

सर्वेक्षण परिणाम

4.0 **प्रतिदर्श विवरण :**

4.1 मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु चयनित जिलों में राजसमन्द की राजसमन्द एवं खमनोर, भीलवाड़ा जिले की आसीन्द एवं माण्डल तथा अजमेर जिले की मसूदा पंचायत समितियों का चयन किया गया। उक्त चयनित पांचों पंचायत समितियों में योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में यथा आंगनबाड़ी भवन, चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केन्द्र/पशु चिकित्सालय/आयुर्वेद औषधालय, स्कूल की चारदीवारी, विद्यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण किचनशैड, पंचायत भवन/पटवार भवन का निर्माण, पेयजल टंकी तथा तालाब/नाड़ी रपट, कुआं निर्माण, चारागाह विकास आदि कार्य सम्पादित करवाये गये हैं।

4.1.1 अध्ययन हेतु चयनित की गई प्रत्येक पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की अवधि में योजनान्तर्गत पूर्ण करवाये गये कार्यों के आधार पर 2–2 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। चयनित ग्राम पंचायतों में पूर्ण किये गये कार्यों में से अधिकतम 10 कार्यों का चयन किया गया। जिन चयनित ग्राम पंचायतों में 10 पूर्ण कार्य नहीं मिलने की स्थिति में उस क्षेत्र की निकटतम ग्राम पंचायतों से शेष रहे अन्य कार्यों का चयन किया गया। इस प्रकार चयनित की गई पांचों पंचायत समितियों में कुल 69 कार्यों का चयन किया जाकर अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य सम्पादित किया गया।

4.1.2 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित किये गये कार्यों का अवलोकन कर स्थानीय व्यक्तियों के समूहों से एवं कार्यों पर नियोजित किये गये श्रमिक लाभार्थियों से साक्षात्कार कर उनसे योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर वास्तविक स्थिति की जानकारी की गई। साक्षात्कार के दौरान अध्ययन हेतु कुल 207 श्रमिक लाभार्थियों तथा 17 स्थानीय ग्रामवासी समूहों से विचार विमर्श एवं कार्यों का अवलोकन कर समूह अनुसूचियाँ भरी गई। साथ ही योजना के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कुल 35 कार्यकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं योजना में रूचि रखने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क कर उनके विचार/मत/अभिमत/प्रतिक्रिया प्राप्त कर उनसे कार्यकारी अनुसूचियाँ भरी गई। इस प्रकार चयनित किये गये जिलों में चयनित की गई पंचायत समितिवार चयनित प्रतिदर्श का विवरण निम्न प्रकार है :–

तालिका – I

चयनित प्रतिदर्श का विवरण

क्र.सं.	चयनित जिलों के नाम	चयनित पंचायत समिति का नाम	श्रमिक लाभार्थी अनुसूची	ग्रामवासी समूह अवलोकन अनुसूची	कार्यकारी अनुसूची	योग
1	राजसमन्द	1. राजसमन्द	45	4	10	59
		2. खमनोर	24	4	9	37
2	भीलवाड़ा	3. आसीन्द	51	2	6	59
		4. माण्डल	60	2	5	67
3	अजमेर	5. मसूदा	27	5	5	37
योग :		**योग :**	**207**	**17**	**35**	**259**

4.1.3 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि, प्रस्तुत अध्ययन 207 श्रमिक लाभार्थियों एवं 17 स्थानीय ग्रामवासी समूहों तथा 35 सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारियों के समूहों पर आधारित है जो अनुसंधानकर्ताओं द्वारा क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित कार्यों के अवलोकन स्थानीय समूहों एवं श्रमिक लाभार्थियों तथा कार्यकारियों से साक्षात्कार के दौरान उनके द्वारा अवगत करवाई गई जानकारी/दी गई सूचनाओं, विचारों, तथ्यों एवं अभिमत/अभिव्यक्ति को संकलित कर उनका मदवार विवेचन किया गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों पर योजना से हुए प्रभावों का आंकलन किया जा सके, जो निम्न प्रकार है :–

4.2 चयनित लाभार्थियों की जाति :

4.2.1 मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित किये गये श्रमिक लाभार्थियों की जाति वर्ग के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का पंचायत समितिवार विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है :–

तालिका – II

लाभार्थी उत्तरदाताओं का जातिगत विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति का नाम	चयनित उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों की कुल संख्या	चयनित उत्तरदाताओं की जाति (संख्या में)		
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य
1	राजसमन्द	1. राजसमन्द	45	21 (46.67)	18 (40.00)	6 (13.33)
		2. खमनोर	24	7 (29.17)	11 (45.83)	6 (25.00)
2	भीलवाड़ा	3. आसीन्द	51	09 (17.65)	01 (1.96)	41 (80.39)
		4. माण्डल	60	14 (23.33)	02 (3.33)	44 (73.33)
3	अजमेर	5. मसूदा	27	–	–	27 (100.00)
		योग :	**207**	**51 (24.64)**	**32 (15.46)**	**124 (59.90)**

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

4.2.1.1 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) चयनित कुल 207 उत्तरदाता श्रमिकों में से 51(24.64 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 32(15.46 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के तथा 124(59.90 प्रतिशत) अन्य जाति वर्ग के हैं।

(ii) उपरोक्त सारिणी के समंकों से यह भी संकेत मिलता है कि राजसमन्द जिले की राजसमन्द एवं खमनोर पंचायत समितियों में अधिकतर उत्तरदाता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं जिसका कारण उक्त जिले में बहुसंख्यक वर्ग, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र का होना है। जबकि उसके विपरीत भीलवाड़ा जिले में पंचायत समिति आसीन्द एवं माण्डल अधिकांश उत्तरदाता अन्य जाति वर्ग के हैं।

(iii) पंचायत समिति मसूदा में समस्त (शत प्रतिशत) उत्तरदाता अन्य जाति वर्ग से हैं।

4.2.2 **आयु** :

4.2.2.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों से उनकी आयु संबंधी जानकारी प्राप्त की गई, जिनका आयु संबंधी विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है :–

तालिका – III

आयु वर्षों में	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
0 से 20 वर्ष	04	1.93
21 से 30 वर्ष	66	31.88
31 से 40 वर्ष	99	41.83
41 एवं इससे अधिक	08	3.87
योग :	**207**	–

4.2.2.2 उपरोक्त आयु संबंधी विवरण के अवलोकन से जानकारी मिलती है कि चयनित कुल 207 उत्तरदाताओं में से 1.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 20 वर्ष की, 31.88 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 21 से 30 वर्ष, 41.83 प्रतिशत की 31 से 40 वर्ष एवं 14.49 प्रतिशत की आुय 41 से 50 वर्ष तक थी तथा 3.87 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 51 एवं इससे अधिक वर्षों की थी। अतः स्पष्ट है कि 75.64 प्रतिशत उत्तरदाता श्रमिक 20 से 40 वर्ष तक की आयु के थे। उपरोक्त विश्लेषण से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि बाल श्रमिक के रूप में कोई भी उत्तरदाता श्रमिक नहीं है एवं बाल श्रम नियमों का पालन किया जा रहा है साथ ही अधिकांश रूप से नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

4.2.3 **व्यवसाय** :

4.2.3.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों से उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी करने पर उनके द्वारा दी गई व्यवसाय संबंधी जानकारी का पंचायत समितिवार विवरण निम्न सारिणी में उपदर्शित किया गया है :–

तालिका – IV

उत्तरदाता श्रमिकों का व्यवसाय

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति का नाम	चयनित उत्तरदाताओं की कुल संख्या	उत्तरदाताओं के व्यवसाय का विवरण (संख्या में)	
			मजदूरी	कृषि/मजदूरी
1	राजसमन्द	45	44	01
2	खमनोर	24	18	06
3	आसीन्द	51	48	03
4	माण्डल	60	39	21
5	मसूदा	27	23	04
	योग :	**207**	**172 (83.09)**	**35 (16.41)**

4.2.3.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से जानकारी मिलती है कि, चयनित 207 उत्तरदाताओं में से 172(83.09 प्रतिशत) उत्तरदाता मजदूरी करते हैं एवं 35(16.41 प्रतिशत) उत्तरदाता कृषि एवं मजदूरी दोनों ही व्यवसाय करते हैं। अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाता अपनी आजीविका केवल मजदूरी करके ही अपने एवं अपने परिवार का गुजारा करते हैं जो पिछड़ापन का कारक है।

4.3.0 **कार्यक्रम की जानकारी एवं कार्य सम्पादन** :

4.3.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित श्रमिक उत्तरदाताओं से यह जानकारी की गई कि, उनके ग्राम में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है या नहीं। तत्संबंध में चयनित 207 उत्तरदाता श्रमिकों में से 127(61.35 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपने ग्राम में कार्यक्रम का संचालन होना एवं 80(38.65 प्रतिशत) ने उनके ग्राम में कार्यक्रम संचालन नहीं होना अवगत करवाया है। उक्त विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि जिन उत्तरदाताओं ने अपने ग्राम में कार्यक्रम संचालित नहीं होना बताया है वे अन्य ग्रामों के थे जिन्होंने कार्यक्रम संचालित हो रहे ग्रामों में आकर मजदूरी का लाभ प्राप्त किया है।

4.3.2 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित 17 ग्राम पंचायतों के ग्रामवासी समूहों से उनकी ग्राम पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2005–06 से 2007–08 के वित्तीय वर्षों में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में आधारभूत संरचना निर्माण हेतु करवाये गये कार्यों की जानकारी करने पर उनके द्वारा दी गई योजनावार करवाये गये कार्यों की जानकारी का विवरण निम्न प्रकार है।

तालिका – V

अन्य योजनाओं में करवाये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2005–06 से 2006–07 के वर्षों में करवाये गये कार्यों का विवरण
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	चारदीवारी, सामुदायिक भवन, खरन्दा निर्माण, शौचालय, सी.सी.रोड़, पंचायत भवन, विश्रान्ति गृह निर्माण, पशु चिकित्सालय, फार्म पौण्ड, पुलिया निर्माण, जलग्रहण ढांचा
2	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	सी.सी.रोड़, तलाई निर्माण, मिट्टी के कच्चे कार्य
3	सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	सामुदायिक भवन, स्कूल में कक्षा कक्ष निर्माण, सी.सी.रोड़, विश्रान्ति गृह निर्माण, पाईपलाईन विस्तार, ग्रेवल रोड़, पानी की टंकी, पुलिया निर्माण एवं स्वागत द्वार
4	अकाल राहत	सामुदायिक भवन, किचनशैड, एनीकट, सी.सी. रोड़ टांका निर्माण, आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण एवं मिट्टी के कच्चे कार्य
5	ई.एफ.सी. योजना	ट्यूबवैल, विद्यालय में जलग्रहण ढांचा निर्माण, एनीकट, सी.सी.रोड़, पुलिया निर्माण, टांका निर्माण एवं आंगनबाड़ी भवन निर्माण
6	स्वविवेक योजना	सामुदायिक भवन, सी.सी.रोड़ एवं विद्यालय में जल ग्रहण ढांचा
7	जिला गरीबी उन्मूलन योजना	सामुदायिक भवन एवं पाईपलाईन विस्तार
8	टी.एफ.सी. योजना	शौचालय निर्माण, सामुदायिक भवन एवं शमशान घाट निर्माण
9	एस.एफ.सी. येाजना	टांका निर्माण
10	गुरू गोलवलकर एवं निर्मल घाट योजना	सामुदायिक भवन, सी.सी.रोड एवं निर्मल घाट निर्माण
11	ग्यारहवें एवं बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत	चारदीवारी, शौचालय एवं सामुदायिक भवन निर्माण

4.3.2.1 उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि चयनित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 के वित्तीय वर्षों में अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भी आधारभूत संरचना निर्माण के कार्य करवाये गये हैं। विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि ग्रामवासी राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों की पूरी जानकारी रखते हैं।

4.4.0 **कार्यों की स्वीकृति, क्रियान्वयन ऐजेन्सी एवं राशि की पर्याप्तता** :

4.4.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान कार्यकारियों से यह जानकारी करने पर कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य किस एजेन्सी के द्वारा करवाये गये हैं तत्संबंध में सभी 35(शत प्रतिशत)कार्यकारियों ने ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जाना अवगत करवाया है।

4.4.2 योजनान्तर्गत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति समय पर प्राप्त हो जाती है या नहीं, संबंधी जानकारी करने पर सभी 35(शत प्रतिशत) कार्यकारियों ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ समय पर प्राप्त होना अवगत करवाया है।

4.4.3 अध्ययन हेतु चयनित कार्यकारियों से जब यह जानकारी चाही गई कि, जिला स्तर से कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी होने के कितने समय पश्चात् कार्य प्रारम्भ करवा दिये जाते हैं तो चयनित 35 कार्यकारियों में से 16(45.71 प्रतिशत) ने स्वीकृति जारी होने के 15 दिन से एक माह के मध्य तथा 19(54.29 प्रतिशत) ने एक माह बाद कार्य प्रारम्भ करवाना अवगत करवाया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 15 से 30 दिन पश्चात् तक की अवधि में कार्य प्रारम्भ करवा दिये जाते हैं, जो यथोचित/समुचित अन्तराल अवधि है।

4.4.4 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित कार्यकारियों से योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु राशि की पर्याप्तता संबंधी जानकारी करने पर इस संबंध में 30(85.71 प्रतिशत) कार्यकारियों ने राशि पर्याप्त होना तथा 5(14.29 प्रतिशत) ने कार्यों के लिए राशि पर्याप्त नहीं होने की जानकारी दी है।

4.4.5 जिन 5 कार्यकारियों ने कार्यों हेतु राशि अपर्याप्त होना अवगत करवाया है उनके अनुसार राशि अपर्याप्त होने पर निम्न प्रकार के कार्य शेष रहे जाने हैं :–

(अ) पेयजल योजना एवं चारदीवारी कार्यों के लिए राशि कम मिलती है जिससे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं।

(ब) चारागाह विकास के कार्य शेष रह जाते हैं।

(स) जिला परिषद से द्वितीय किश्त की राशि समय पर उपलब्ध नहीं होती है एवं बजट की कमी से कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं फलस्वरूप कार्य की किस्म से समझौता करना पड़ता है।

4.5.0 **स्वीकृत राशि की समय पर उपलब्धता एवं कार्य पूर्ण होने की अवधि** :

4.5.1 चयनित कार्यकारियों में से 34(97.14 प्रतिशत) कार्यकारियों ने स्वीकृत राशि कार्यकारी एजेन्सी को समय पर प्राप्त होना तथा 1(2.86 प्रतिशत) ने यथासमय राशि प्राप्त नहीं होना बताया।

4.5.2 जिस एक कार्यकारी ने यथासमय राशि प्राप्त नहीं होना बताया उसने स्वीकृति के 4 माह पश्चात् राशि प्राप्त होना बताया।

4.5.2 अध्ययन के दौरान चयनित कार्यकारियों से यह जानकारी भी की गई कि, क्या कार्य सामान्यतया निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जाते हैं अथवा नहीं ? तत्सम्बन्धी प्रत्युत्तर में 31(88.57 प्रतिशत) कार्यकारियों ने निर्धारित अवधि में कार्यों का पूर्ण होना एवं 4(11.43 प्रतिशत) ने पूर्ण नहीं होना अवगत करवाया है। जिन कार्यकारियों ने निर्धारित अवधि में कार्यों का पूर्ण नहीं होना अवगत करवाया है उनसे इसके कारणों की जानकारी करने पर इसके निम्नांकित कारण बताये हैं।

(क) 80 से 90 प्रतिशत कार्य तो निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिये जाते हैं किन्तु 10 से 20 प्रतिशत कार्य स्थानीय स्तर पर विवाद हो जाने एवं कार्यस्थल के परिवर्तन के कारण समयावधि में पूर्ण नहीं हो पाते हैं।

(ख) कई बार कार्य पर नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों का समय पर नहीं मिलना भी कार्यों में विचलन/अवरोध पैदा करते हैं जिसके कारण कार्यों में देरी होती जाती है एवं कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाते हैं।

4.6.0 **श्रमिक लाभार्थियों द्वारा की गई कार्यवार मजदूरी एवं अवधि** :

4.6.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों से इस आशय की जानकारी करने पर कि, उनके द्वारा मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन–कौन से कार्यों पर मजदूरी की गई ? इस संबंध में कार्यक्रम के अन्तर्गत नियोजित श्रमिक लाभार्थियों द्वारा दी गई जानकारी का पंचायत समितिवार संकलित विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका – VI

उत्तरदाता श्रमिकों द्वारा की गई कार्यवार मजदूरी का विवरण

क्र. सं.	कार्यों की श्रेणी/कार्यों का नाम	उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों की पंचायत समितिवार संख्या					
		राजसमन्द	खमनौर	आसीन्द	माण्डल	मसूदा	योग
1	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण कार्य	12	6	6	–	3	27
2	चारदीवारी निर्माण कार्य	15	6	6	6	3	36
3	किचनशेड निर्माण कार्य	–	–	12	21	6	39
4	ऐनीकट निर्माण कार्य	–	3	–	–	3	6
5	सी.सी.रोड निर्माण	3	–	6	3	–	12
6	कुआं निर्माण	–	–	–	3	–	3
7	तालाब, रपट/नाड़ी निर्माण	3	–	–	12	–	15
8	पंचायत घर/पटवार भवन	–	6	–	3	–	9
9	पशु चिकित्सालय/ चिकित्सालय / उप स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद औषधालय	6	3	–	–	12	21
10	पेयजल हेतु टंकी निर्माण, पाईपलाईन विस्तार	3	–	3	–	–	6
11	राजीव गांधी पाठशाला	3	–	6	9	–	18
12	चारागाह विकास कार्य	–	–	12	3	–	15
	कुल उत्तरदाताओं की संख्या	45	24	51	60	27	207

4.6.2 उपरोक्त चयनित उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न कार्यों पर की गई कार्यवार मजदूरी के विवरण से स्पष्ट है कि चयनित क्षेत्रों में संचालित कार्यों पर श्रमिक उत्तरदाताओं ने कार्यों पर मजदूरी का लाभ प्राप्त किया है।

4.6.3 उपरोक्त चयनित उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों से जब यह जानकारी की गई कि, उन्होंने उक्त कार्यों पर कितने–कितने दिवस तक कार्य किया ? तत्संबंध में उनके द्वारा अवगत करवाई गई रोजगार अवधि की संकलित सूचनाओं का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

तालिका – VII

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति का नाम	चयनित उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों की संख्या	उत्तरदाता द्वारा की गई मजदूरी की अवधि				
			15 दिन से कम	15 से 30 दिन	31 से 45 दिन	46 से 60 दिन	60 से अधिक दिन
1	राजसमन्द	45	9	8	10	13	5
2	खमनोर	24	3	9	7	4	1
3	आसीन्द	51	31	20	–	–	–
4	माण्डल	60	25	35	–	–	–
5	मसूदा	27	15	8	4	–	–
	योग :	**207**	**83**	**80**	**21**	**17**	**6**
			(40.10)	**(38.65)**	**(10.14)**	**(8.21)**	**(2.90)**

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

4.6.3.1 उपरोक्त तालिका में उपलब्ध करवाई जानकारी के अनुसार 207 उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों में से 83(40.10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 15 दिन से कम अवधि तक, 80(38.65 प्रतिशत) ने 15 से 30 दिन तक, 21(10.14 प्रतिशत) ने 31 से 45 दिन तक एवं 17(8.21 प्रतिशत) ने 46 से 60 दिन तक तथा 6(2.90 प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिकों ने 60 से अधिक दिन की अवधि तक मजदूरी पर नियोजित होकर कार्य करना अवगत करवाया है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता श्रमिकों औसतन 15 दिन तक कार्यों पर नियोजित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया है।

4.7.0 नियाजित श्रमिकों के चयन का आधार :

4.7.1 अध्ययन हेतु चयनित 81.64 प्रतिशत उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों ने अवगत करवाया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत नियोजित श्रमिक के रूप में उनका चयन ए.पी.एल., बी.पी.एल. कार्ड के आधार पर हुआ है, जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है :–

तालिका – VIII

चयन का आधार

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति का नाम	चयनित उत्तरदाता श्रमिकों की संख्या	योजनान्तर्गत मजदूरी हेतु आपका चयन किस आधार पर किया गया ?			
			बी.पी.एल.	ए.पी.एल.	महिला	अन्य
1	राजसमन्द	45	27	18	–	–
2	खमनोर	24	13	11	–	–
3	आसीन्द	51	25	7	15	4
4	माण्डल	60	40	1	19	–
5	मसूदा	27	24	3	–	–
	योग :	**207**	**129 (62.32)**	**40 (19.32)**	**34 (16.43)**	**4 (1.93)**

( )कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

4.7.1.2 उपरोक्त सारणी में दिये गये समंकों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य पर श्रमिकों के चयन में सर्वाधिक 129(32.32 प्रतिशत) श्रमिकों का चयन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रमिकों के आधार पर किया गया है। 40(19.32 प्रतिशत) का चयन ए.पी.एल. के आधार पर एवं 34(16.43 प्रतिशत) का चयन पुरूष/महिला श्रमिक के रूप में तथा 4(1.93 प्रतिशत) श्रमिकों का चयन अन्य आधार पर किया गया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि, योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकांश श्रमिकों का चयन बी.पी.एल. तथा ए.पी.एल. के आधार पर किया गया जो मानदण्डानुसार उचित प्रतीत होता है।

4.7.1.3 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों से जब यह जानकारी की गई कि, उनके अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों का भी योजनान्तर्गत मजदूरी हेतु चयन किया या नही तो 205(99.03 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने उनके परिवार में अन्य सदस्यों का मजदूरी हेतु चयन नहीं होना बताया है जबकि 2(0.97 प्रतिशत) ने उनके परिवार में अन्य सदस्यों का भी मजदूरी हेतु चयन किया जाना अवगत करवाया है।

4.7.1.4 जिन 2 उत्तरदाताओं ने परिवार के अन्य सदस्यों का मजदूरी हेतु चयनित होना अवगत करवाया है उनसे चयनित सदस्यों की आयु, लिंग, संख्या एवं उन्हें उपलब्ध रोजगार दिनों की संख्या आदि के बारे में पूछने पर इन्होने अवगत करवाया कि, इन चयनित व्यक्तियों में एक पुरूष एवं एक महिला है जिनकी आयु क्रमशः 30 एवं 40 वर्ष तथा पुरूष श्रमिक को 10 दिन व महिला श्रमिक को 40 दिन का रोजगार उपलब्ध हुआ है।

4.8.0 **मजदूरी की दर एवं भुगतान** :

4.8.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता श्रमिकों को यह जानकारी भी की गई कि, योजनान्तर्गत निर्धारित मानदण्डों (नार्म्स) के अनुसार ही प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिली है। तत्संबंध में सभी 207 (शत प्रतिशत) उत्तरदाताओं के समूह ने 73/– रूपये प्रति बेलदार एवं 140/– रूपये प्रति मिस्त्री/कारीगर को प्रतिदिन के अनुसार नकद मजदूरी की राशि देय होना अवगत करवाया है। जबकि गेहूँ के रूप में देय मजदूरी का भुगतान भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति आसीन्द एवं माण्डल के चयनित सभी 111(शत प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 4.700 किलोग्राम तथा अजमेर जिले की पंचायत समिति मसूदा के सभी 27(शत प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 5.00 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मजदूरी का भुगतान किये जाने की जानकारी दी है।

4.8.2 अध्ययन हेतु चयनित कार्यकारियों से जब यह जानकारी की गई कि योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों पर मजदूरी की दर निर्धारित टास्क के अनुसार ही निर्धारित की हुई है या नहीं तो इस बाबत् समस्त 35(शत प्रतिशत) कार्यकारियों ने निर्धारित टास्क के अनुसार ही मजदूरी की दर निर्धारित होने की जानकारी से अवगत करवाया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि, चयनित समूह के समग्र उत्तरदाताओं ने योजनान्तर्गत देय मजदूरी की दर निर्धारित नॉर्म्स/टास्क के अनुसार ही निर्धारित है।

4.8.3 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों से यह जानकारी करने पर कि, उन्हें योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर की गई मजदूरी का भुगतान कितने–कितने दिवस के अन्तराल पर किया गया ? तत्संबंध में उनके द्वारा दी गई जानकारी का पंचायत समितिवार विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :–

तालिका – IX

मजदूरी के भुगतान का अन्तराल

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति का नाम	कुल चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	आपको योजनान्तर्गत कार्यों पर की गई मजदूरी का भुगतान कितने दिवस के अन्तराल पर किया गया ? (उत्तरदाता संख्या)			
			प्रतिदिन	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक
1	राजसमन्द	45	–	–	45	–
2	खमनोर	24	–	8	16	–
3	आसीन्द	51	–	43	8	–
4	माण्डल	60	–	52	8	–
5	मसूदा	27	–	26	1	–
	योग :	**207**	**–**	**129**	**78**	**–**
	प्रतिशत	**–**	**–**	**62.32**	**37.68**	**–**

4.8.3.1 उपरोक्त सारणी में दी गई जानकारी के अनुसार चयनित 207 उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों में से 129(62.32 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने प्रति सप्ताह एवं 78(37.68 प्रतिशत) ने प्रत्येक पाक्षिक अर्थात 15 दिवस में मजदूरी का भुगतान होना अवगत करवाया है। प्रतिदिन या प्रतिमाह में भुगतान किसी भी श्रमिक लाभार्थी को नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि, योजनान्तर्गत देय मजदूरी का भुगतान नियत अवधि में ही किया गया है।

4.7.3.2 अध्ययन के दौरान अध्ययन हेतु चयनित श्रमिक लाभार्थी उत्तरदाताओं एवं क्षेत्र के कार्यकारियों से यह जानकारी करने पर कि, उन्हें (श्रमिकों) निर्धारित दर के अनुसार पूरी मजदूरी समय पर मिली या नहीं तत्संबंध में उनसे व्यक्तिशः साक्षात्कार के दौरान उनके द्वारा दी गई जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका – X

मजदूरी का समय पर भुगतान होने संबंधी जानकारी

चयनित समूह की श्रेणी उत्तरदाता	कुल चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	क्या श्रमिकों को निर्धारित दर के अनुसार पूरी मजदूरी का भुगतान समय पर मिल गया था ?	
		हाँ	नहीं
चयनित श्रमिक लाभार्थी उत्तरदाता	207	207 (100.00)	–
कार्यकारी उत्तरदाता	35	35 (100.00)	–

4.7.3.3 उपरोक्त तालिका में दिये गये समंकों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि, योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों पर नियोजित चयनित कुल 207 श्रमिक लाभार्थियों एवं 35 कार्यकारी (शत प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कार्यों पर निर्धारित दर के अनुसार पूरी मजदूरी का भुगतान समय प्राप्त होना अवगत करवाया है। अतः उपरोक्त समग्र मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि, योजनान्तर्गत कार्यों पर लगे सभी श्रमिकों को पूरी मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर से समय पर किया गया है।

4.9.0 कार्यक्रम से पूर्व रोजगार/मजदूरी :

4.9.1 क्षेत्र कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित किये श्रमिक लाभार्थी उत्तरदाताओं से यह जानकारी भी की गई कि, मगरा क्षेत्र कार्यक्रम के लागू होने से पूर्व उन्हें वर्ष में लगभग कितने दिवस मजदूरी मिल जाती थी ? इस संबंध में उनके द्वारा दी गई जानकारी का विवरण निम्न प्रकार से है :–

तालिका – XI

कार्यक्रम से पूर्व मजदूरी अवधि का विवरण

कार्यक्रम के लागू होने से पूर्व श्रमिक उत्तरदाताओं को वर्ष में प्राप्त मजदूरी दिवसों की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या एवं प्रतिशत	
	संख्या	प्रतिशत
15 दिवस से कम	13	6.28
15 से 30 दिवस	06	2.90
30 से 60 दिवस	36	17.39
60 से 90 दिवस	10	4.83
90 से 120 दिवस	15	7.25
120 से 150 दिवस	25	12.07
150 एवं इससे अधिक दिवस	83	40.10
प्रत्युत्तर नहीं दिया	19	9.18
कुल चयनित उत्तरदाता श्रमिकों का योग	**207**	–

4.9.1.2 उपरोक्त जानकारी से स्पष्ट है कि मगरा क्षेत्रीय कार्यक्रम के लागू होने से पूर्व चयनित क्षेत्रों के कुल 207 चयनित श्रमिक उत्तरदाताओं में से 13(6.28 प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिकों को 15 दिवस से कम, 6(2.90 प्रतिशत) को 15 से 30 दिवस तक, 36(17.39 प्रतिशत) को 1 से 2 माह तक, 10(4.83 प्रतिशत) को 2 से 3 माह तक, 15(7.25 प्रतिशत) को 3 से 4 माह तक एवं 25(12.07 प्रतिशत) को 4 से 5 माह तक तथा 83(40.10 प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिकों को वर्ष में लगभग 5 एवं इससे अधिक माह तक मजदूरी मिल जाती थी। शेष 19(9.18 प्रतिशत) श्रमिक लाभार्थी उत्तरदाताओं ने इस बिन्दु पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। राजसमन्द एवं खमनोर पंचायत समितियों में तो वर्ष की मजदूरी की उपलब्धता बहुत ही कम रही है जो वर्ष में औसत रूप से 2 माह तक की मजदूरी उपलब्ध रही। यही स्थिति पंचायत समिति मसूदा में रही है किन्तु भीलवाड़ा जिले की चयनित पंचायत समिति, आसीन्द एवं माण्डल में अधिकांश श्रमिकों को अधिक अवधि की मजदूरी मिली है, जिसका कारण जिले में औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में मजदूरी के अधिक अवसर होना है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि चयनित क्षेत्रों में रोजगार/मजदूरी का अभाव रहा है, जो क्षेत्र के पिछड़ेपन का संकेत है। वर्ष में औसतन रूप से 2 से 3 माह तक की अवधि की ही मजदूरी श्रमिकों को मिल पाती थी।

4.9.1.3 अध्ययन के दौरान चयनित किये गये श्रमिक लाभार्थी उत्तरदाताओं से यह जानने का भी प्रयास किया गया कि मगरा क्षेत्रीय कार्यक्रम के लागू होने से पूर्व वे स्वयं एवं उनके परिवार के सदस्य जीविकोपार्जन हेतु क्या–क्या कार्य करते थे ? तत्संबंधी जानकारी के प्रत्युत्तर में 48(23.19 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कृषि मजदूरी,

96(46..38 प्रतिशत) ने कृषि कार्य, 65(31.40 प्रतिशत) ने मजदूरी एवं 5(2.42 प्रतिशत) नौकरी तथा 6(2.90 प्रतिशत) ने अपना स्वयं का व्यवसाय/धन्धा करने की जानकारी से अवगत करवाया है, जिन उत्तरदाताओं ने अपना स्वयं का एवं परिवार के सदस्यों का धन्धा/व्यवसाय करना बताया है उनमें वेल्डिंग मशीन का कार्य, आर.सी.सी. की छत डालने, फोटोग्राफी का कार्य तथा मिट्टी के घड़े/बर्तन बनाने का कार्य मुख्य है। जिन उत्तरदाताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी करना बताया है उसमें तथा प्राईवेट ड्राईवरी तथा अन्य फेक्ट्री, दुकान पर नौकरी करना बताया है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि योजना/कार्यक्रम के लागू होने से पूर्व अधिकांश श्रमिक लाभार्थी उत्तरदाता एवं उनके परिवार के सदस्य कृषि कार्य कृषि मजदूरी एवं मजदूरी का कार्य करते थे।

4.10.0 **योजना से पूर्व/पश्चात् उत्तरदाता परिवारो की वार्षिक आय में वृद्धि** :

4.10.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित उत्तरदाता श्रमिकों से यह जानकारी चाही गई कि, उनके परिवार की योजना से पूर्व एवं उसके पश्चात कुल अनुमानित वार्षिक आय कितनी–कितनी रही ? इस बिन्दु पर उनके द्वारा दी गई जानकारी का विवरण निम्न तालिका में उपदर्शित किया गया है :–

तालिका – XII

उत्तरदाता परिवारों की अनुमानित वार्षिक आय

अनुमानित वार्षिक आय की श्रेणी (राशि हजार रूपये से)	उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थी उत्तरदाताओं की संख्या	
	योजना से पूर्व	योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक 2007–08)
रूपये 4000 से 10000	80 (38.65)	30 (14.49)
रूपये 10001 से 15000	11 (5.31)	44 (21.26)
15001 से 20000	05 (2.42)	09 (4.35)
20001 से अधिक	92 (44.44)	15 (7.25)
25001 से 35000	19 (9.18)	109 (52.66)
कुल उत्तरदाताओं की संख्या	**207**	**207**

4.10.2 उपरोक्त तालिका में उत्तरदाता परिवारों की योजना से पूर्व एवं सर्वे दिनांक की अनुमानित वार्षिक आय की परस्पर तुलना करने से ज्ञात होता है कि :–

(i) योजना से पूर्व 80(38.65 प्रतिशत) उत्तरदाता परिवारों की अनुमानित वार्षिक आय 4000 रूपये से 10000 रूपये तक की एवं योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक को) इस श्रेणी की आय में कुल 30(14.49 प्रतिशत) उत्तरदाता परिवार ही रह गये अर्थात 50 उत्तरदाता परिवारों की वार्षिक इस आय श्रेणी में नहीं रही जो

आय में वृद्धि का संकेत है। इसी प्रकार योजना से पूर्व 11(5.31 प्रतिशत) उत्तरदाता परिवार ऐसे थी जिनकी आय 10001 से 15000 रूपये तक की थी किन्तु योजना के पश्चात् (अर्थात सर्वे दिनांक को) इस आय श्रेणी में 44(21.65 प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिक परिवार जुड़ गये अर्थात 33 ऐसे श्रमिक उत्तरदाता परिवार के जिनकी आय इस श्रेणी में आ गये। जिससे स्पष्ट है कि कुल श्रमिक उत्तरदाताओं में से 33 श्रमिक उत्तरदाता परिवारों की आय में योजना के पश्चात् वृद्धि हुई है।

(ii) इसी प्रकार 15001 से 20000 रूपये तक की वार्षिक आय श्रेणी में योजना से पूर्व 05(2.42 प्रतिशत) श्रमिक उत्तरदाता परिवार थे जबकि योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक को) 9(4.35 प्रतिशत) अर्थात 4 उत्तरदाता परिवारों की 15001 से 20000 रूपये की वार्षिक आय हो गई जो आय में वृद्धि का संकेत है।

(iii) योजना से पूर्व 92(44.44 प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिक परिवार ऐसे थे जिनकी अनुमानित वार्षिक आय 20001 से 25000 रूपये तक थी किन्तु योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक को) 15(7.25 प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिक परिवार ही इस आय श्रेणी में रह गये अर्थात 77 श्रमिक उत्तरदाता परिवार ऐसे थे जिनकी योजना के पश्चात् इससे ऊपर वाली आय श्रेणी में सम्मिलित हो गये। यही क्रम 25001 से अधिक रूपये की आय श्रेणी में रहा जहाँ पूर्व में अर्थात योजना से पूर्व 19(9.18 प्रतिशत) श्रमिक उत्तरदाता परिवारों की आय इस श्रेणी में थी जबकि योजना के पश्चात् इनकी संख्या बढ़कर 109(52.56 प्रतिशत) हो गई अर्थात सर्वे दिनांक को 90 श्रमिक उत्तरदाता परिवारों की वार्षिक आय इस श्रेणी में आ गई जो आय में बढ़ोतरी का द्योतक है जो मगरा विकास कार्यक्रम के साथ–साथ अन्य योजनाओं में भी उनके परिवार को रोजगार उपलब्ध हुआ जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है।

4.10.3 अतः उपरोक्त सामयिकी विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि, योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक को) श्रमिक उत्तरदाता परिवारों की अनुमानित वार्षिक आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जो योजना के क्रियान्वयन से ही सम्भव हुआ है। श्रमिक उत्तरदाता परिवारों की संख्या न्यूनतम से उत्तरोत्तर अधिक आय वर्ग में बढ़ रही है, जो योजना का रोजगार पर अनुकूल प्रभावों का द्योतक है।

4.11.0 **चयनित कार्यों पर उत्तरदाताओं की राय** :

4.11.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्यों के विभिन्न बिन्दुओं पर यह जानने का प्रयास किया गया कि, उल्लेखित बिन्दुओं पर उनकी क्या राय/प्रतिक्रिया है ? तत्संबंध में उनके द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर दी गई जानकारी का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

(1) **स्थान का चयन** :

(i) मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत निर्मित करवाये गये कार्यों के स्थान के चयन संबंधी जानकारी करने पर चयनित समस्त 207(शत प्रतिशत) श्रमिक उत्तरदाताओं ने निर्मित करवाये गये कार्यों का स्थान सही एवं उचित होने की जानकारी दी है।

(ii) चयनित क्षेत्रों के ग्रामवासी समूहों से स्थान के चयन सम्बन्धी जानकारी करने पर सभी 17(शत प्रतिशत) ग्रामवासी समूहों ने कार्यस्थल का चयन ग्रामसभा में उनकी आम सहमति एवं आवश्यकता के अनुसार सही स्थान पर किया जाना अवगत करवाया है।

(iii) जब क्षेत्र के चयनित 35 कार्यकारियों से कार्यस्थल के चयन/उपयुक्तता सम्बन्धी जानकारी चाही गई तो 34(97.14) ने कार्यस्थल का चयन निर्धारण सही होना एवं अपवाद स्वरूप 1(2.86 प्रतिशत) कार्यकारी ने सही स्थान पर चयन नहीं होने की प्रतिक्रिया दी है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि समूह के समग्र उत्तरदाताओं ने कार्यस्थल का चयन/निर्धारण क्षेत्र की आवश्यकतानुरूप ग्रामवासियों की सहमति से उचित स्थान पर ही दिया गया है।

(2) **कार्यों की गुणवत्ता** :

चयनित उत्तरदाताओं के समूह से योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों की गुणवत्ता सम्बन्धी प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। प्राप्त प्रतिक्रिया/जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका – XIII

क्र. सं.	चयनित उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों की गुणवत्ता कैसी है ?			
			बहुत अच्छी	अच्छी	साधारण	ठीकठाक
1	श्रमिक लाभार्थी	207	–	202(97.50)	5(2.42)	–
2	ग्रामवासी समूह	17	8 (47.06)	5(29.42)	4(23.52)	–
3	कार्यकारी	35	14 (40.00)	10(51.43)		3(8.57)
योग		**259**	**225 (86.87)**	**9(3.47)**	**3(1.17)**	

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश चयनित उत्तरदाताओं के समग्र समूह ने योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों की गुणवत्ता अच्छी होना बतलाया है।

(3) **श्रम सामग्री की उपलब्धता एवं व्यवस्था** :

(i) अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता श्रमिकों से क्षेत्र में सामग्री की उपलब्धता संबंधी जानकारी करने पर 195(94.20 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने निर्माण सामग्री स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध होने की जानकारी दी है। 12(5.80 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने इस बिन्दु पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(ii) चयनित ग्रामवासी समूहों से चयनित क्षेत्रों में निर्माण सामग्री की उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी करने पर चयनित 17 ग्रामवासी समूहों में से 11 समूहों ने स्थानीय स्तर पर एवं 6 समूहों ने स्थानीय एवं बाहरी दोनों ही स्तर पर निर्माण सामग्री की उपलब्धता एवं व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी जानकारी दी है।

(iii) चयनित कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों की संख्या के संबंध में 107 उत्तरदाताओं ने निर्मित कार्यों पर 10 से कम श्रमिक, 52 ने 11 से 20 श्रमिक, 25 ने 21 से 30 श्रमिक, 16 ने 31 से 40 श्रमिक एवं 3 ने 41 से 50 श्रमिक तथा 4 उत्तरदाताओं ने 51 एवं इससे अधिक श्रमिकों को लगाया जाना बताया है। चयनित ग्रामवासी समूहों से निर्माण कार्य हेतु श्रमिकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी करने पर 17 ग्रामवासी समूहों में से 14 ग्रामवासी समूहों ने स्थानीय स्तर पर एवं 3 समूहों ने स्थानीय एवं बाहर दोनों स्तर से ही श्रमिकों की व्यवस्था चयनित क्षेत्रों में किया जाना बताया है।

(iv) अतः उपरोक्त विश्लेषण से चयनित कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों की संख्या निर्मित कार्य की प्रकृति एवं उस कार्य को पूर्ण होने की अवधि पर निर्भर रही है अतः तदनुसार चयनित कार्यों पर श्रमिकों की व्यवस्था की गई।

(4) **कार्य की आवश्यकता के संबंध में** :

मगरा क्षेत्र के चयनित ग्रामों में निर्मित कार्यों का चयन क्षेत्र की आवश्यकताओं को मद्धेनजर रखते हुए ही प्राथमिकता के आधार पर किया गया है जैसा कि चयनित उत्तरदाताओं एवं समूहों से चर्चा में व्यक्त विचारों से परिलक्षित होता है।

(i) जिन क्षेत्रों में पशुओं के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी उनमें ही पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण करवाया गया।

(ii) जिन ग्रामों में पेयजल हेतु टंकी नहीं पाई उनमें पेयजल की नियमित आपूर्ति के लिए पेयजल टंकी एवं पाईपलाइन का निर्माण योजना के तहत् करवाया गया।

(iii) जिन ग्रामों में पंचायत भवन नहीं थे उनमें पंचायत भवन निर्मित करवाये गये जिसके कारण पंयायत के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों के संचालन में सुविधा हुई है।

(iv) इसी प्रकार चयनित किये ग्रामों में पाठशाला भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, सी.सी.रोड़ निर्माण, विद्यालयों में कक्षा कक्ष, किचनशेड, एनीकट, तालाब की मोरी एवं चारागाह विकास आदि का निर्माण कार्य आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर करवाया गया है। इन सभी के फलस्वरूप निर्माण कार्य होने से आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि होने से बच्चों के नामांकन, ठहराव में वृद्धि, पेयजल सुविधा, चिकित्सा सुविधा, आवागमन में सुविधा, साफ–सफाई से भोजन बनाने आदि सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है।

(5) **योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों से उपलब्ध सुविधाऐं** :

(अ) पेयजल टंकी, पाईपलाइन एवं सार्वजनिक कुआं निर्माण कार्य से ग्रामवासियों/ ग्राम को पेयजल सुविधा मिली है।

(ब) पक्की सी.सी. रोड़ निर्माण हो जाने से आवागमन में ग्रामवासियों के लिए सुविधा बढ़ी है।

(स) विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण हो जाने से विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ को सुविधा मिली है।

(द) पोषाहार पकाने हेतु सुरक्षित स्थान मिलने के साथ–साथ शुद्ध पोषाहार पकाने/ रखने एवं आसानी से पोषाहार पकाने की सुविधा मिली है।

(य) विद्यालय की चारदीवारी निर्मित हो जाने से सुरक्षा, सफाई तो हुई है साथ ही वृक्षारोपण होने से जानवरों से भी सुरक्षा की सुविधा मिली है।

(र) नये पंचायत भवन बन जाने से पंचायत का रिकॉर्ड रखने एवं प्रशासनिक कार्य करने में सुविधा मिली है।

(ल) चारागाह/ऐनीकट आदि से मिट्टी के कटाव पर रोक लगी है एवं वर्षा के पानी को रोककर भूजल स्तर में भी वृद्धि हो सकेगी।

(6) **उपलब्ध रोजगार के संबंध में** :

चयनित किये गये 207 उत्तरदाता श्रमिकों से योजनान्तर्गत निर्मित किये गये कार्यों पर उपलब्ध रोजगार के संबंध में जानकारी करने पर 184(88.89 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कार्यों पर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होना एवं 22(10.63 प्रतिशत) ने जरूरतमद एवं बाहरी लोगों को रोजगार उपलब्ध होना बताया है जबकि 1(0.48 प्रतिशत) उत्तरदाता ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश रूप से स्थानीय लोगों को कार्यों पर रोजगार उपलब्ध हुआ है।

4.12.0 **कार्यों का निरीक्षण** :

4.12.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित कार्यकारियों से कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् समिति के सदस्यों/जिला स्तरीय अधिकारियों/पंचायत समिति के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा समय–समय पर कार्यों का निरीक्षण किया जाता है या नहीं संबंधी जानकारी करने पर समस्त 35(शत प्रतिशत) कार्यकारियों ने अधिकारियों एवं अभियन्ताओं द्वारा समय–समय पर कार्यों का निरीक्षण किये जाने की जानकारी से अवगत करवाया है। अतः स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् समिति के सदस्यों, जिला अधिकारियों, पंचायत समिति के अधिकारियों एवं अभियन्ताओं द्वारा समय–समय पर कार्यों का निरीक्षण किया जाता है।

4.13.0 **कार्यों की उपयोगिता/उपयोग** :

4.13.1 अध्ययन हेतु चयनित कार्यकारियों से योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का उपयोग हो रहा है या नहीं तत्संबंधी जानकारी करने पर समस्त 35 (शत प्रतिशत) कार्यकारियों ने योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का उपयोग किया जाना अवगत करवाया है।

4.13.2 जब इन कार्यकारियों से यह जानकारी की गई कि, मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों में कितने प्रतिशत कार्य उपयोग में आ रहे हैं ? तो तत्संबंधी पूछे गये प्रश्न के प्रत्युत्तर में 29(82.86 प्रतिशत) ने 100 प्रतिशत एवं 4(11.43 प्रतिशत) ने 95 प्रतिशत तथा 23(5.71 प्रतिशत) कार्यकारियों ने 90 प्रतिशत कार्य उपयोग में आने की जानकारी से अवगत करवाया है।

4.13.3 उपरोक्त क्रम में जब इन कार्यकारियों से यह पूछा गया कि, करवाये गये कार्य किस उपयोग में आ रहे हैं तो इन कार्यकारियों ने अपने प्रत्युत्तर में कार्यों का निम्नांकित उपयोग होना अवगत करवाया है :–

(i) आंगनबाड़ी में बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है।

(ii) पंचायत घर ग्राम पंचायत के कार्यालय के उपयोग में आ रहा है।

(iii) विद्यालयों में कक्षा कक्ष छात्रों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(iv) चिकित्सालय/उप स्वास्थ्य केन्द्र का उपयोग चिकित्सा हेतु हो रहा है।

(v) किचनशैड पोषाहार पकाने के लिए तथा पेयजल हेतु टंकी एवं कुऐं से पेयजल का उपयोग हो रहा है।

4.14.0 **शिकायतों का निस्तारण** :

4.14.1 अध्ययन के दौरान क्षेत्र के कार्यकारियों से योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों की शिकायत/अनियमितता पाये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा जाँच करवाई जाती है या नहीं संबंधी जानकारी करने पर समस्त 35(शत प्रतिशत) कार्यकारियों ने शिकायत/अनियमितता पाये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा जाँच करवाया जाना अवगत करवाया है।

4.14.2 जब इन कार्यकारियों से यह पूछा गया कि, ऐसी शिकायतों/अनियमितताओं का निस्तारण कितने दिनों में कर दिया जाता है तो तत्संबंधी प्रत्युत्तर में 14(40.00 प्रतिशत) कार्यकारियों ने 7 से 15 दिवस में 6(17.14 प्रतिशत) ने 16 से 30 दिनों में तथा 5(14.29 प्रतिशत) कार्यकारियों ने 60 दिनों में शिकायतों का निस्तारण करने की जानकारी से अवगत करवाया है। शेष 10(28.57 प्रतिशत) कार्यकारियों ने तत्संबंधी प्रश्न का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

4.15.0 **कार्यक्रम का प्रभाव** :

4.15.1 अध्ययन के दौरान मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के आंकलन हेतु क्षेत्र के चयनित किये गये श्रमिक उत्तरदाताओं से योजना के पश्चात् उनके पारिवारिक जीवन पर पड़े प्रभावों के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर तुलनात्मक स्थिति की जानकारी की गई तत्संबंध में योजना से पूर्व एवं पश्चात् उनके द्वारा अपने परिवार के विभिन्न बिन्दुओं पर मदवार दी गई व्यय राशि की जानकारी का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

तालिका – XIV

उत्तरदाता श्रमिक परिवारों की मदवार व्ययों की स्थिति

क्र. सं.	मदवार विवरण	व्यय राशि की श्रेणी (रूपये में)	उत्तरदाताओं की संख्या	
			योजना से पूर्व	योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक को)
1	2	3	4	5
(क)	परिवार में भोजन पर अनुमानित व्यय राशि (प्रतिमाह)	0 से 1000	64 (30.92)	37 (17.87)
		1001 से 2000	111 (53.62)	106 (51.20)
		2001 से 3000	19 (9.18)	34 (16.43)
		3001 से 4000	13 (6.28)	23 (11.11)
		4001 एवं इससे अधिक	–	7 (3.38)
		चयनित उत्तरदाताओं का योग :	207	207

.....निरन्तर

क्र. सं.	मदवार विवरण	व्यय राशि की श्रेणी (रूपये में)	उत्तरदाताओं की संख्या	
			योजना से पूर्व	योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक को)
1	2	3	4	5
(ख)	परिवार में चिकित्सा पर अनुमानित व्यय राशि (प्रतिमाह)	0 से 100	119 (57.49)	72 (34.78)
		101 से 200	40 (19.32)	65 (31.40)
		201 से 300	26 (12.56)	29 (14.00)
		301 एवं इससे ऊपर	05 (2.42)	12 (5.80)
		प्रत्युत्तर नहीं दिया/लागू नहीं	17 (8.21)	29 (14.00)
		चयनित उत्तरदाताओं का योग	207	207
(ग)	शादी/विवाह में अनुमानित व्यय (प्रति विवाह राशि)	15000 तक	49 (23.67)	30 (14.49)
		16000 से 30000	17 (8.21)	26 (12.56)
		31000 से 45000	3 (1.45)	11 (5.31)
		46000 एवं इससे अधिक	–	3 (1.45)
		प्रत्युत्तर नहीं दिया/लागू नहीं	138 (66.66)	137 (66.18)
		चयनित उत्तरदाताओं का योग	207	207
(घ)	मृत्युभोग आदि पर व्यय	3000 तक	37(17.87)	01 (0.48)
		3001 से 5000	15 (7.25)	35 (16.91)
		5001 से 7000	9 (9.35)	09 (4.35)
		7001 से अधिक	8 (3.86)	18(8.70)
		प्रत्युत्तर नहीं दिया/लागू नहीं	138 (66.66)	144 (69.57)
		कुल चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	207	207
(च)	घर में बिजली पर व्यय (प्रतिमाह)	200 तक	39 (18.84)	31 (14.98)
		201 से 400	3 (1.45)	136 (6.28)
		401 से 600	1 (0.48)	2 (0.96)
		601 एवं इससे अधिक	–	–
		प्रत्युत्तर नहीं दिया/लागू नहीं	164(79.22)	161(77.77)
		कुल चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	207	207

.....निरन्तर

क्र. सं.	मदवार विवरण	व्यय राशि की श्रेणी (रूपये में)	उत्तरदाताओं की संख्या	
			योजना से पूर्व	योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक को)
1	2	3	4	5
(छ)	अन्य मदों पर अनुमानित व्यय (प्रतिमाह)	200 तक	26 (12.56)	25 (12.08)
		201 से 400	26 (12.56)	35 (16.91)
		401 से 600	15 (7.25)	25 (12.08)
		601 एवं इससे अधिक	5 (2.42)	21 (10.14)
		प्रत्युत्तर नहीं दिया/ लागू नहीं	135 (65.22)	101(48.79)
		कुल चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	207	207
(ज)	स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा पर मासिक व्यय	50 से 200 तक	115 (55.55)	39 (18.84)
		100 से 150	–	66 (31.88)
		150 से 200	–	46 (22.22)
		200 से 250	–	18 (8.70)
		250 से 300	–	08 (3.86)
		प्रत्युत्तर नहीं दिया/ लागू नहीं	92 (44.44)	30(14.49)
		कुल चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	207	207

4.15.2 चयनित 207 उत्तरदाता श्रमिक परिवारों के उपरोक्त मदवार व्यय राशि के ब्यौरे की स्थिति को देखने से जानकारी मिलती है कि :–

(i) योजना से पूर्व उत्तरदाता श्रमिक परिवारों में भोजन मद पर प्रतिमाह व्यय की गई राशि योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक) की व्यय राशि की तुलना में कम रही है। योजना के पश्चात् उत्तरदाता श्रमिक परिवारों में इस मद पर अधिक राशि व्यय करने का संकेत इस बात का द्योतक है कि इस मद पर उत्तरोत्तर वृद्धि होने से उत्तरदाता श्रहमिकों की आय भी बढ़ी है। अतः योजना के पश्चात् उनके पारिवारिक जीवन पर आर्थिक प्रभाव अच्छा रहा है।

(ii) चिकित्सा व्यय स्थाई प्रकृति के नहीं होते हैं। परिवार में बीमारी की दशा में ही उक्त मद पर व्यय किया जाता है। इस कारण इन व्ययों में विचलन पाया जाता है। इस पद पर योजना से पूर्व एवं योजना के पश्चात् किये गये/किये जा रहे व्ययों को सापेक्षिक दृष्टि से देखें तो इससे भी श्रमिक उत्तरदाता परिवारों में योजना के पश्चात् इस मद पर किये जा रहे व्ययों में उत्तरोत्तर वृद्धि का संकेत है, जो श्रमिक उत्तरदाताओं की आय में वृद्धि का द्योतक है।

(iii) चयनित 207 उत्तरदाताओं में से 69 उत्तरदाताओं ने योजना से पूर्व एवं 70 उत्तरदाताओं ने योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक) अपने परिवारों के सदस्यों की शादी/विवाह के अवसर पर व्यय राशि के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि इस मद पर योजना से पूर्व उत्तरदाताओं द्वारा कम राशि व्यय की गई है जबकि, योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक को) उत्तरोत्तर अधिक राशि व्यय करने की स्थिति दर्शाती है अर्थात उत्तरदाताओं द्वारा योजना के पश्चात् इस मद पर अधिक राशि व्यय की जा रही है जो उनकी आय में वृद्धि एवं बढ़ती महंगाई से कीमतों में वृद्धि का भी संकेत है।

(iv) चयनित 207 उत्तरदाता श्रमिकों में से जिन उत्तरदाताओं के परिवार में योजना से पूर्व एवं योजना के पश्चात् मृत्युभोज आयोजित किये गये हैं उनमें 69 उत्तरदाताओं ने योजना से पूर्व एवं 63 उत्तरदाताओं ने योजना के पश्चात् उक्त मद पर व्यय किया जाना अवगत करवाया है किन्तु सापेक्षिक दृष्टि से व्यय की गई राशि का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि इस मद पर योजना से पूर्व एवं पश्चात् व्यय की गई राशि लगभग समान है जो उत्तरदाताओं की आय को परिलक्षित नहीं करती है किन्तु इससे यह निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि, उक्त मद पर लोगों को व्यय करने का रूझान कम है जो मृत्युभोज जैसी सामाजिक कुरूतियों को धीरे–धीरे समाप्त होने का संकेत है या इस मद पर अधिक व्यय नहीं करना चाहते हैं।

(v) चयनित 207 उत्तरदाताओं में से 43 उत्तरदाताओं ने योजना से पूर्व एवं 46 ने योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक को) घर में बिजली पर प्रतिमाह व्यय किये जाने की जानकारी दी है। उक्त मद पर व्यय राशि का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि इस मद पर योजना के पश्चात् अधिक राशि व्यय की जा रही है जो 200 रूपये से 600 रूपये प्रतिमाह तक है। इससे स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं की आय में वृद्धि हुई है। साथ ही यह संकेत भी मिलता है कि जिन उत्तरदाताओं ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है उनके गांव/घर में या तो विद्युत आपूर्ति नहीं है अथवा उन्होंने विद्युत कनेक्शन नहीं लिया है।

(vi) यही स्थिति उत्तरदाता श्रमिक परिवारों में अन्य आवश्यक मदों पर प्रतिमाह व्यय की राशि की है जिनमें उत्तरोत्तर वृद्धि के संकेत हैं जो उनकी आय में वृद्धि को परिलक्षित करती है।

(vii) योजना से पूर्व एवं योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक को) उत्तरदाता परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा पर मासिक व्ययों के ब्यौरे की सूचनाओं का अवलोकन करने से जानकारी मिलती है कि, योजना से पूर्व 115 उत्तरदाता परिवारों के बच्चे स्कूल में अध्ययन कर रहे थे जिनकी शिक्षा पर उत्तरदाताओं द्वारा 50 रूपये से 100 रूपये मासिक व्यय किया जा रहा था जबकि योजना के पश्चात् (सर्वे दिनांक को) 177 उत्तरदाता परिवारों के बच्चे स्कूल में अध्ययनरत है जिन पर उत्तरदाता परिवारों द्वारा 100 रूपये से 300 रूपये प्रतिमाह व्यय किया जा रहा है इससे यह स्पष्ट है कि, योजना के पश्चात् उत्तरदाता श्रमिकों की आय में वृद्धि तो हुई है ही साथ ही उत्तरदाताओं में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने की प्रवृत्ति भी देखी गई।

4.15.2.1इस प्रकार उपरोक्त मदवार व्ययों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि, योजना के पश्चात् उत्तरदाओं की आय में वृद्धि होने के कारण विभिन्न प्रकार के मदों पर व्ययों में बढ़ोतरी हुई है जो उनकी आय में वृद्धि होने का ही संकेत है, जिसका मुख्य कारण मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का लागू होना है जिसने उत्तरदाताओं के पारिवारिक जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है।

4.16.0 **परिसम्पत्तियों का सृजन** :

4.16.1 अध्ययन के दौरान चयनित क्षेत्र के कार्यकारियों से यह जानकारी करने पर कि, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पादित किये गये कार्यों से स्थाई उपयोग की सार्वजनिक सम्पत्तियों का सृजन हुआ या नहीं तत्संबंध में सभी 35 (शत–प्रतिशत) कार्यकारियों ने योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों से परिसम्पत्तियों का सृजन होना अवगत करवाया है।

4.17.0 **योजना/कार्यक्रम की कठिनाईयाँ एवं सुझाव** :

4.17.1 मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य के 5 जिलों में वर्ष 2005–06 से क्रियान्वित किया गया था। कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन हेतु 3 जिलों का चयन किया गया एवं अध्ययन हेतु चयनित किये गये इन जिलों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक इस कार्यक्रम के अध्ययन हेतु प्राप्त प्रारम्भिक एवं प्रलेखनीय सूचनाओं, योजना से लाभान्वित श्रमिकों/ग्रामवासी समूहों तथा चयनित जिलों के सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारी उत्तरदाताओं से व्यक्तिशः साक्षात्कार कर उनसे प्राप्त सूचनाओं, प्रतिक्रियाओं एवं जानकारी के साथ ही क्षेत्र कार्य के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा किये गये अवलोकन के आधार पर कार्यक्रम के सम्पादन में रही कमियाँ/अनुभूत की गई कठिनाईयों को दूर करने के साथ ही कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं :–

(1) **स्वीकृत/जारी की गई राशि का उपयोग** :

क्षेत्र कार्य के दौरान पाया कि अध्ययन के संदर्भित वर्षों में उपलब्ध/शेष राशि का शत प्रतिशत उपयोग निर्धारित वित्तीय वर्षों में नहीं किया गया है। चयनित जिलों में तो 50 प्रतिशत से भी कम उपलब्ध/शेष राशि का उपयोग हुआ है। जिसके कारण कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है एवं स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं हो पाये। स्वीकृत/जारी राशि को निर्धारित वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं किये जाने से जहाँ एक और निर्माण लागत में तो वृद्धि होती ही है। साथ ही कार्यक्रम को भी गति नहीं मिल पाती है फलस्वरूप योजना के उद्धेश्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चूंकि मगरा क्षेत्र अपेक्षाकृत काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है एवं इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक व पिछड़ी जातियों के लोग निवास करते हैं इसलिए मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को लागू करने का उद्धेश्य यही होता है कि, उस क्षेत्र का विकास करने के साथ–साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। अतः कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत/जारी की गई राशि का शत प्रतिशत उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में/समयावधि में किया जाना चाहिए। इस हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जाते हैं :–

(क) कार्य एवं व्यय राशि की स्वीकृति समय पर दी जानी चाहिए।

(ख) स्वीकृत कार्यों के निर्माण पूर्ण होने की अवधि का पूर्वानुमान पहले से ही निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ग) प्रारम्भ किये गये कार्यों की समय–समय पर समीक्षा, नियमित निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जानी चाहिए ताकि उपलब्ध/शेष राशि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं स्वीकृत कार्य पूर्ण हो सके।

(घ) जिला स्तर नोडल ऐजेन्सी एवं क्रियान्वयन ऐजेन्सी के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

(च) कार्यों की स्वीकृति से पूर्व कार्यस्थल/कार्य निर्माण का तखमीना तैयार किया जाना चाहिए ताकि राशि का अभाव नहीं हो सके।

(2) **अभिलेखों का संधारण, मॉनिटरिंग एवं समन्वय की व्यवस्था** :

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मगरा क्षेत्रीय विकास योजना/कार्यक्रम का नोडल विभाग है। अध्ययन के दौरान देखा गया कि, अध्ययन किये गये जिलों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की उपलब्ध वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के समंकों एवं राज्य के विभागीय स्तर पर प्राप्त प्रारम्भिक प्रगति की

सूचनाओं/समंकों को अवलोकन एवं परस्पर विरोधाभासी है। इससे यह प्रतीत होता है कि, उपलब्ध करवाये गये समंक अद्योतन नहीं है इससे यह स्पष्ट होता है कि, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय नोडल ऐजेन्सियों में परस्पर समन्वय का अभाव है, कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग नहीं की जाती है तथा अभिलेखों का सही ढंग से संधारण नहीं किया गया है। उक्त कमियों के कारण योजना की वास्तविक प्रगति परिलक्षित नहीं हो पाती है। फलस्वरूप योजना/कार्यक्रम के दृष्टिकोण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्नांकित सुझावों को अंगीकार किया जाना चाहिए :–

(अ) राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम के अभिलेखों को वर्षवार संधारण कियाक जाना चाहिए एवं सूचना तंत्र को प्रभावी एवं परिष्कृत कर कार्यक्रम की अद्योतन सूचनाऐं तैयार की जानी चाहिए ताकि योजना की वास्तविक प्रगति की स्थिति स्पष्ट हो सके।

(ब) राज्य स्तर पर मुख्यालय एवं जिला स्तरीय नोडल ऐजेन्सियों में परस्पर समन्वय स्थापित कर प्रभावी नियंत्रण किया जाना चाहिए।

(स) राज्य स्तर पर मगरा क्षेत्रीय विकास मण्डल एवं जिला स्तरीय नोडल ऐजेन्सी द्वारा कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जानी चाहिए ताकि कार्यक्रम को गति मिल सके एवं यदि कोई कठिनाई हो तो समय पर उसे दूर किया जा सके।

(3) उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र :

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग स्तर से वर्ष 2005–06 से 2006–07 के वित्तीय वर्षों में व्यय की गई राशि के विपरीत जारी उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं का अवलोकन करने पर पाया कि, राज्य में योजनान्तर्गत सम्मिलित जिलों में वर्ष 2005–06 में कुल 230.70 लाख रूपये की व्यय राशि के विपरीत 207.4 लाख रूपये एवं वर्ष 2006–07 में कुल 465.32 लाख रूपये की व्यय राशि के विपरीत 216.81 लाख रूपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र ही जारी किये गये हैं। चयनित जिला भीलवाड़ा में तो वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में 67.68 एवं 132.84 लाख रूपये की व्यय राशि के विपरीत क्रमशः 3.82 एवं 25.86 लाख रूपये की राशि को ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं। जबकि चयनित जिला राजसमन्द में वर्ष 2005–06 में व्यय की गई राशि से भी आधिक्य राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी हुये हैं। अतः विभागीय स्तर पर उक्त बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर जारी करने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि व्यय एवं ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार व्ययों में विसंगति/अन्तर नहीं आ सके।

(4) **अपूर्ण रहे कार्यों के सम्बन्ध में** :

अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि चयनित जिलों में योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की भौतिक कार्य प्रगति काफी धीमी रही है। किसी एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्य उस वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं किया जाता है एवं उसे अगले वित्तीय वर्ष में अपूर्ण/शेष रहे कार्यों की प्रगति बताई जाती है एवं चालू वित्तीय वर्ष में और नये कार्य स्वीकृत हो जाते हैं जिसके कारण पिछले वित्तीय वर्ष के शेष रहे कार्य एवं चालू वित्तीय वर्ष के नये स्वीकृत कार्य दोनों का योग बढ़ता जाता है जो पुनः उससे अगले वित्तीय वर्षों में बढ़ जाते हैं एवं कार्य समय पर पूर्ण नहीं होते हैं। चयनित जिलों में स्थित नोडल ऐजेन्सी (जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यालयों द्वारा वर्ष 2007–08 (दिसम्बर 2007) तक उपलब्ध करवाई गई भौतिक प्रगति के अनुसार चयनित जिलों में 1.4.07 को 190 कार्यों को शेष/अपूर्ण होना एवं उसी वित्तीय वर्ष में 245 नये कार्य स्वीकृत किये गये। इस प्रकार कुल 435 कार्यों को वर्ष 2007–08 में पूर्ण किया जाना था जबकि दिसम्बर 2007–08 में पूर्ण किया जाना चाहिए था जबकि दिसम्बर 2007 तक इन 435 कार्यों में से केवल 87 कार्य ही पूर्ण किये गये एवं 309 कार्य अपूर्ण थे तथा 16 कार्य तो प्रारम्भ ही नहीं किये गये जबकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में तीन माह का समय ही शेष था।

अतः कार्यों को समय पर पूर्ण करने हेतु विभागीय स्तर पर/जिला स्तरीय नोडल ऐजेन्सी द्वारा उक्त बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा कार्यों की समीक्षा/मॉनिटरिंग समय पर की जानी चाहिए।

(5) **आवंटित राशि की अपर्याप्तता एवं समय पर उपलब्धता** :

क्षेत्र कार्य के दौरान देखा गया कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के विपरीत आवंटित राशि अपर्याप्त रहती है एवं राशि भी समय पर नहीं मिलने के कारण पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने तथा समय पर राशि नहीं मिलने के कारण स्वीकृत किये गये कार्य या अपूर्ण रह जाते हैं या उन्हें बीच में ही बन्द करना पड़ता है। अतः पर्याप्त राशि के अभाव में कार्य पूर्ण करने में/सम्पादन करने में कठिनाई होती है। अवलोकन करने पर पाया कि, स्कूल की चारदीवारी, पशु चिकित्सालय में विद्युत फिटिंग, आंगनबाड़ी केन्द्र/स्कूल की चारदीवारी/खेल के मैदान की चारदीवारी एवं पेयजल/पाईपलाईन आदि के कार्य अधूरे रह गये। अतः सुझाव दिया जाता है कि :–

(i) स्वीकृत किये गये कार्यों के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन किया जाना चाहिए एवं इस हेतु कार्यस्थल का तखमीना बनाकर राशि स्वीकृत करनी चाहिए। कार्यों के लिए आवंटित राशि समय पर स्वीकृत करनी चाहिए।

(ii) अपूर्ण कार्यों के लिए आवंटित राशि समय पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। कार्य की प्रथम किश्त की राशि 50 प्रतिशत तक उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

(iv) जीविकोपार्जन गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा इस हेतु जीविकोपार्जन हेतु 40 प्रतिशत तथा ट्रेनिंग हेतु 10 प्रतिशत व्यय राशि का प्रावधान रखा जाना चाहिए।

(6) **अन्य सुझाव** :

(i) जहाँ तक संभव हो कार्य पूर्ण रूप से मगरा विकास योजनान्तर्गत ही करवाये जाने चाहिए इन्हें अकाल राहत से डवलेट नहीं किया जावे क्योंकि अकाल राहत में श्रमिकों द्वारा कार्य कम किया जाता है।

(ii) योजनान्तर्गत पेयजल, रास्ता निर्माण/सी.सी.रोड़ के निर्माण के अधिक कार्य करवाये जाने चाहिए।

(iii) विभिन्न कारणों से अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करवाना चाहिए।

(iv) निर्मित/पूर्ण किये गये कार्यों को संरक्षित रखने हेतु उनकी नियमित निगरानी एवं रखरखाव की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए एवं उनकी नियमित मरम्मत करवाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

4.18 **निष्कर्ष** :

4.18.1 संक्षेप में अध्ययन हेतु चयनित इकाईयों के भौतिक सर्वेक्षण एवं चयनित लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध सूचनाओं तथा मूल्यांकन दल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत परिसम्पत्तियों का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकताओं के आधार पर हुआ है। परिसम्पत्तियों के निर्माण से मगरा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही रोजगार सृजन होने से स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। परिसम्पत्तियों के निर्माण की गुणवत्ता भी सतोषप्रद पायी गयी लेकिन स्वीकृत कार्यों का समय पर पूर्ण नहीं होना एवं निर्माण के पश्चात् रखरखाव के समुचित प्रावधान नहीं होने से मगरा क्षेत्र में आधारभूत विकास की अवधारणा के अपेक्षित प्रभाव परिलक्षित नहीं हुए हैं। क्रियान्वयन एजेन्सी को स्वीकृति वर्ष में ही कार्य पूर्ण करवाने के समुचित प्रयास करने चाहिये, जिससे योजना का अधिकाधिक लाभ यथाशीघ्र मगरा क्षेत्र के निवासियों को प्राप्त हो सके एवं मगरा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की प्रक्रिया गतिशील हो सके।

———

परिशिष्ट–I

राज्य में सम्मिलित मगरा क्षेत्र का विवरण

जिला	पंचायत समिति	पूर्ण / आंशिक	गाँवों की संख्या
राजसमन्द	भीम	पूर्ण	109
	देवगढ	पूर्ण	131
	आमेट	पूर्ण	136
	कुम्भलगढ़	पूर्ण	161
	राजसमन्द	पूर्ण	130
	खमनोर	पूर्ण	132
अजमेर	जवाजा	पूर्ण	193
	मसूदा	पूर्ण	137
पाली	रायपुर	आंशिक	58
	मारवाड़ जंक्शन	आंशिक	41
भीलवाड़ा	आसीन्द	आंशिक	66
	मांडल	आंशिक	74
	रायपुर	आंशिक	26
चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	आंशिक	32
योग :	**14**		**1426**

परिशिष्ट– II

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांक : एफ.6(37)प्र.सु./अनु.–3/2005/ जयपुर, दिनांक : 2.8.2005

आदेश

मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले के मगरा क्षेत्र में जिला राजसमन्द की 6 पंचायत समिति (भीम, देवगढ़, आमेट, कुम्भलगढ़, राजसमन्द, खमनोर), अजमेर की 2 पंचायत समिति (जवाजा व मसूदा), पाली की 2 पंचायत समिति (रायपुर व मारवाड़ जंक्शन), का कुछ भाग व भीलवाड़ा की 3 पंचायत समिति (आसीन्द, माण्डल व रायपुर) का कुछ भाग एवं चित्तौड़गढ़ की एक पंचायत समिति (निम्बाहेड़ा) का कुछ भाग के आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य स्तरीय मगरा क्षेत्रीय विकास मण्डल का गठन महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से एतद्द्वारा निम्नानुसार किया जाता है :–

1	मान्नीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	अध्यक्ष
2	माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	सदस्य
3	मुख्य सचिव, राजस्थान	सदस्य
4	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान	सदस्य
6	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान	सदस्य
7	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान	सदस्य
8	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान	सदस्य
9	शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान	सदस्य
10	शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान	सदस्य
11	शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान	सदस्य
12	शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान	सदस्य
13	शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान	सदस्य
14	शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान	सदस्य
15	शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान	सदस्य
16	शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान	सदस्य
17	शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान	सदस्य
18	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान	सदस्य
19	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य डेयरी कॉपरेटिव फैडरेशन, जयपुर	सदस्य
20	आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
21	आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
22	राज्य परियोजना निदेशक, डी.पी.आई.पी., जयपुर	सदस्य
23	जिला कलक्टर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़	सदस्य
24	प्रतिनिधि, बैफ, भीलवाड़ा	सदस्य
25	प्रतिनिधि, फाउण्डेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफ.ई.एस.) भीलवाड़ा	सदस्य
26	परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव(एस.ए.पी.) ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य

1. मगरा क्षेत्रीय विकास मण्डल द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे :–

(अ) मगरा क्षेत्रीय विकास मण्डल मगरा क्षेत्र से संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण करेगा तथा उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा व उसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन देगा।

(ब) मगरा क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संबंध में क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार नई योजनाओं के लिए भी सुझाव देगा।

(स) मगरा क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक योजना के प्रस्ताव जिला कलक्टर्स की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरान्त ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त होंगे, का मगरा क्षेत्रीय विकास मण्डल की बैठक में विचार कर अनुमोदन किया जायेगा।

2. मण्डल का मुख्यालय जयपुर में होगा लेकिन इसकी बैठक मगरा क्षेत्र के किसी भी जिला मुख्यालय पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से की जा सकेगी।
3. राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग का मगरा क्षेत्रीय विकास योजना पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण रहेगा। जिला स्तर पर कार्य जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के पर्यवेक्षण में कराये जा सकेंगे तथा जिला परिषद की बैठकों में इसकी समीक्षा की जा सकेगी।
4. मण्डल की बैठक कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित की जावेगी।
5. मगरा क्षेत्रीय विकास मण्डल का कार्यकाल मगरा क्षेत्रीय विकास योजना की निरन्तरता की अवधि तक रहेगा।

आज्ञा से

(आर.सी.अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, मान्नीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
4. निजी सहायक, मा. राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचा. राज विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
7. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव .....
8. जिला कलक्टर, राजसमन्द, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़
9. परि. निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
10. उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/व्यवस्था एवं पद्धत्ति सचिवालय, जयपुर
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर
12. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
13. अद्यीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय वास्ते राजपत्र में प्रकाशन हेतु
14. समस्त सदस्य (समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
15. ग्रामीण विकास विभाग को अ.शा. टीप संख्या एफ 13(1) ग्रावि/6/05 दिनांक 22.7.05 के संदर्भ में आदेश की 100 प्रतियाँ समिति से संबंधित सदस्यों को भिजवाने हेतु प्रेषित हैं।
16. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

परिशिष्ट–III

मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का वर्षवार व जिलेवार भौतिक प्रगति विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 2005–06				वर्ष 2006–07							वर्ष 2007–08 (फरवरी 08 तक)						
		कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ ही नहीं हुए	1.4.06 को शेष रहे / अपूर्ण कार्य	कुल स्वीकृत कार्य	योग	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ ही नहीं हुए	निरस्त किये गये	1.4.07 को शेष रहे / अपूर्ण कार्य	कुल स्वीकृत कार्य	योग	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ ही नहीं हुए	निरस्त किये गये
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	अजमेर	73	54	18	1	19	21	40	32	6	2	–	8	15	23	9	13	1	–
2	भीलवाड़ा	107	79	25	3	28	149	177	29	125	–	23	125	121	246	164	65	8	9
3	चित्तौड़गढ़	29	2	27	–	27	10	37	22	13	2	–	15	14	29	15	10	2	2
4	पाली	38	–	26	12	38	24	62	29	25	–	8	25	73	98	59	34	5	–
5	राजसमन्द	186	56	130	–	130	125	255	169	77	9	–	86	157	243	121	122	–	–
	योग :	**433**	**191**	**226**	**16**	**242**	**329**	**571**	**281**	**246**	**13**	**31**	**259**	**380**	**639**	**368**	**244**	**16**	**11**

परिशिष्ट–IV

मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का वर्षवार व जिलेवार वित्तीय प्रगति विवरण

(वास्तविक व्यय के आधार पर)

(राशि लाख रूपयों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 2005–06				2006–07					2007–08 (फरवरी 08 तक)				
		आवंटित बजट	जारी की गई राशि	वास्तविक व्यय राशि	शेष राशि	आवंटित बजट	जारी की गई राशि	कुल उपलब्ध राशि	वास्तविक व्यय राशि	शेष राशि	आवंटित बजट	जारी की गई राशि	कुल उपलब्ध राशि	वास्तविक व्यय राशि	शेष राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	अजमेर	42.30	42.30	35.77	6.53	33.84	33.84	40.37	35.59	4.78	24.18	12.09	16.87	17.61	(–)0.74
2	भीलवाड़ा	115.13	115.13	67.68	47.45	92.10	92.10	139.55	132.84	6.71	133.55	133.55	140.26	184.83	(–)44.57
3	चित्तौड़गढ़	33.55	33.55	21.32	12.23	26.84	26.84	39.07	24.10	14.97	26.95	13.47	28.44	23.83	4.61
4	पाली	57.33	57.33	14.70	42.63	45.86	45.86	88.49	45.35	43.14	59.82	59.82	102.96	80.86	22.10
5	राजसमन्द	251.70	251.70	91.23	160.47	201.36	201.36	361.83	227.44	134.39	255.50	127.75	262.14	245.20	16.94
	योग :	**500.01**	**500.01**	**230.70**	**269.31**	**400.00**	**400.00**	**669.31**	**465.32**	**203.99**	**500.00**	**346.68**	**550.67**	**552.33**	**(–)1.66**

परिशिष्ट–V

मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का वर्षवार व जिलेवार वित्तीय प्रगति विवरण

(CA ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार)

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 2005–06				वर्ष 2006–07						वर्ष 2007–08 (फरवरी 08 तक)					
		आवंटित बजट	जारी की गई राशि	व्यय राशि	UC जारी की गई राशि	1.4.06 को शेष राशि	आवंटित बजट	जारी की गई राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	UC जारी की गई राशि	1.4.07 को शेष राशि	आवंटित बजट	जारी की गई राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	UC जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	अजमेर	42.30	42.30	35.77	31.80	10.50	33.84	33.84	44.34	35.59	34.94	9.40	24.18	12.09	21.49	17.61	N A
2	भीलवाड़ा	115.13	115.13	67.68	3.82	111.31	92.10	92.10	203.41	132.84	25.86	177.55	133.55	133.55	311.10	184.83	N A
3	चित्तौड़गढ़	33.55	33.55	21.32	9.38	24.17	26.84	26.84	51.01	24.10	21.16	29.85	26.95	13.47	43.32	23.83	N A
4	पाली	57.33	57.33	14.70	14.32	43.01	45.86	45.86	88.87	45.35	19.83	69.04	59.82	59.82	128.86	80.86	N A
5	राजसमन्द	251.70	251.70	91.23	148.17	103.53	201.36	201.36	304.89	227.44	115.02	189.87	255.50	127.75	317.62	245.20	N A
	योग :	**500.01**	**500.01**	**230.70**	**207.49**	**292.52**	**400.00**	**400.00**	**692.52**	**465.32**	**216.81**	**475.71**	**500.00**	**346.68**	**822.39**	**552.33**	**N A**